

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

ग्रमाधारगा

लखनऊ, रविवार, 2 सितम्बर, 1973 भाद्रपद 11, 1895 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका श्रनुभाग–1

संख्या 2979/सत्रह--वि॰-1-8-73 लखनऊ, 2 सितम्बर, 1973

> विज्ञप्ति विविध

दिनांक 2 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:---

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973)

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा ग्रिधिनियमित

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के योजना के अनुसार विकास के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के वास्ते उपबंध करने के लिये

ग्रधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 ्रे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :

1--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम,

संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों और रक्षा प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, . उस हे द्वारा अध्यगृहीत अथवा पट्टे पर ली गई भूमियों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है ।

2--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :---

परिभाषायें

(क) "मुखसुविधा" के अन्तर्गत सड़क, जल प्रदाय, सड़कों में रोशनी, जल निकास, मल वहन प्रणाली, लोकसंकर्म और ऐसो अन्य सुविधाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मुखसुविधा विनिद्धिट करे;

- (ख) "भवन" के अन्तर्गत ऐसी संरचना या परिनिर्माण अथवा ऐसी संरचना या परिनिर्माण का भाग है जो आवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लावे जाने के लिये आञ्चयित है चाहे वह वास्तविक उपयोग में हो या न हो ;
- (ग) "निर्माण किया" के अन्तर्गत पुर्नीनर्माण कियाएं, भवनों के संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन और ऐसी अन्य कियाएं हैं जो भवनों के निर्माण के संबंध में सामान्यतया की जाती हैं ;
- (घ) "उपविधि" से विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गई उपविधि अभिप्रेत है;
- (ङ) "विकास" से इसके व्याकरणिक रूपभेटों सहित भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरी, खनन या अन्य कियाएं अथवा किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुर्नावकास भी है;
- (च) "विकास क्षेत्र" से घारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (छ) "विकास प्राधिकरण" या "प्राधिकरण" से किसी विकास क्षेत्र के संबंध में उस क्षेत्र के लिए घारा 4 के अधीन बनाया गया विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ज) "इंजीनियरी किया" के अन्तर्गत किसी सड़क तक पहुंच के साधनों का बनाना या उनका लगाना अथवा जलप्रदाय के साधनों का लगाना भी है ;
- (क्ष) "पहुंच के साधन" के अन्तर्गत गाड़ियों या पैदल चलने वाले लोगों के लिये, चाहे प्राइवेट या सार्वजनिक, कोई भी पहुंच के साधन अभिप्रेत हैं और उनके अन्तर्गत सड़क भी है ;
- (ङा) "विनियम" से विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;
- (ट) "नियम" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम अभिप्रेत है;
- (ठ) "भवन के परिनिर्माण" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित निम्नलिखित हैं—
 - (i) किसी भवन का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्धन;
 - (ii) संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा--
 - (क) किसी ऐसे भवन का जो प्रारम्भ में मानव वास के लिये निर्मित नहीं किया गया था मानव वास के लिये स्थान में सम्परिवर्तन ; या
 - (ख) किसी भवन का जो प्रारम्भ में मानव वास के लिये एक स्थान के रूप में निर्मित किया गया था ऐसे एक से अधिक स्थानों में सम्परिवर्तन ; या
 - (ग) मानव वास के दो या अधिक स्वानों का ऐसे और अधिक स्वानों में सम्परिवर्तन;
 - (iii) भवन में ऐसे परिवर्तन जो उसकी जल-विकास या सफाई संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन करे या उसकी सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करे;
 - (iv) किसी भवन में किन्हीं कमरों, इमारतों, मकानों या अन्य संरचनाओं को जोड़ना ; और
 - (v) किसी दीवार में जो ऐसे मार्ग या भूमि से लगी हुई है जो उस दीवार के स्वामी की नहीं है ऐसे दरवाजे का निर्माण जो ऐसे मार्ग या भूमि की ओर खुलता हो :
 - (ड) "परिक्षेत्र" से ऐसे खण्डों में से कोई एक खण्ड अभिप्रेत है जिनमें किसी विकास क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिये विभाजित किया जए ;
 - (ढ) "भूमि" पद का वही अर्थ है जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 में है। 1894

959 का तर प्रदेश विनिषम 2

अध्याय 2

विकास प्राधिकरण ग्रीर उसके उद्देश्य

3--यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास करना अवेक्षित है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

विकास क्षेत्रों की घोषणा।

- 4--(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विकास क्षेत्र के लिये इस अधि- विकास प्राधिकरण नियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण गठित कर सकेगी जो विकास प्राधिकरण कहलाएगा ।
- (2) प्राधिकरण उक्त, अधिसूचना में उसे दिए गये नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्यान करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा जो उक्त नाम से बाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
- 199 का इ.स. प्रदेश जीवाम 2
- (3) फिसी विकास क्षेत्र की बाबत, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित सम्पूर्ण नगर या उसका कोई भाग हो, प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात :--
 - (क) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
 - (ख) एक उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
 - (ग) राज्य सरकार का सचिव जो आवास विभाग का भार साघक हो, पदेन;
 - (घ) राज्य सरकार का सचिव जो चित्त विभाग का भार साधक हो, पदेन;
 - (ङ) उत्तर प्रदेश का मुख्य नगर तथा ग्राम घोंजनाकार, पर्देन;
 - (च) उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन इंजीनियरी विभाग का मुख्य इंजीनियर, पदेन;
 - (छ) मुख्य नगर अधिकारी, पदेन;
 - (ज) ऐसे प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हो, जिला मजिस्ट्रेट, परेन ;
 - (झ) उक्त नगर की नगरमहायालिका के समासदों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले चार सदस्य :

परन्तु कोई ऐसा सदस्य नगर महापालिका का सभासद न रहने पर इस रूप में भी पद भारण नहीं करेगा;

- (সা) तीन से अनिधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाएं।
- (4) उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी ।
- (5) उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे घेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी इार्तों से शासित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अबकारित की जाएं।
- (6) उपधारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य प्राधिकारण की बठक में स्वयम् उपस्थित होने के बजाये, ऐसे अधिकारी को, जो खण्ड (ग), या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में उसके विभाग में उपसिचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, और खण्ड (इ) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में नगर योजनाकार की पंक्ति से नीचे का न हो और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में अधीक्षक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये भेज सकेगा। इस प्रकार भेजे गये अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का तथा मत देने का अधिकार होगा।
- (7) उपधारा (3) में उत्लिखत विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच से अन्यून तथा ग्यारह से अनिधक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिनम उस विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले म्युनिसिपल बोर्ड और नोटिकाईड एरिया कमेटी में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य सिम्मिलित होगा और जो इतनी अवधि के लिये तथा ऐसे निबंधनों और झतौं पर पद धारण करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाएं:

परन्तु उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न हो किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पश्रद्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र क स्वीकार किवे जाने पर वह समक्षा आवेगा कि जसने अपना पद रिक्त कर दिवा है। (8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्त के होने अथवा उसके गठन में किसी त्रुटि के ही कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृत्द

4

- 5.....(1) राज्य सरकार दो उपयुक्त व्यक्तियों को प्राधिकरण के कमशः सिचव और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेंगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जावें अथवा जो प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रत्योजित किये जावे।
- (2) ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं, प्राधिकरण इतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने उसके कृत्यों के दक्ष निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनके पदाभिधान और श्रेणी अवधारित कर सकेगा ।
- (3) प्राधिकरण के सिचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसे बेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्ती से शासित होंगे जो इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विहित की जायें।

सलाहकार परिषद्

- 6--(1) राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो प्राधिकरण को महायोजना तैयार करने के बारे में तथा विकास की योजना से संबंधित ऐसे अन्य विषयों के बारे में अथवा इस अधिनियम के प्रशासन से या उसके संबंध में पैदा होने वाले ऐसे मामलों के बारे में जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिख्ट किये जायं सलाह देने के प्रयोजनों के लिए एक सलाहकार परिषद् गठित कर सकेंगी।
- (2) धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में सलाहकार परिषद् में निम्निलिखित सदस्य होंगे, प्रर्थात् :---
 - (क) प्राधिकरण का श्रध्यक्ष, पदेन, जो सभापति होगा ;
 - (ख) मुख्य नगर श्रीर ग्राम योजनाकार उत्तर प्रदेश, श्रीर उत्तर प्रदेश के स्वायत्त प्रशासन इंजीनियर, विभाग का मुख्य इंजीनियर, पदेन ;
 - (ग) चिकित्सा श्रौर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश श्रथवा उसका नाम-निर्देशिती जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, पदेन ;
 - ्(ध) विकास क्षेत्र की सीमाश्रों के श्रन्दर श्रधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के चार प्रतिनिधि जो उनके सदस्यों द्वारा श्रपने में से निर्वाचित किए जायंगे ;
 - (ङ) परिवहन श्रायुक्त, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती जो उप-परिवहन श्रायुक्त को पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, पदेन ;
 - (च) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड का ग्रध्यक्ष या उसका नाम निर्देशिती, पदेन ;
 - (छ) लोक सभा के ग्रौर राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग हो ;
 - (ज) राज्य सभा श्रोर राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सब सदस्य जिनका निवास स्थान विकास क्षेत्र में हो ;
 - (झ) तीन सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशि। किये जायेंगे ग्रीर जिनमें से एक विकास क्षेत्र के मजदूरों के हितों का ग्रीर एक उद्योग ग्रीर वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (3) उपधारा (2) के खंड (ज) के प्रयोजनों के लिये राज्य समा या राज्य की विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थान वह समझा जायगा जो ऐसे सदस्य के रूप में, यथास्थित, उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन की श्रधिसूचना में उल्लिखित हो ।
- (4) उपघारा (2) के खंड (घ) के श्रधीन निर्वाचित सदस्य परिषद् के लिये श्रपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की श्रविध तक पद धारण करेगा श्रौर पुर्नानर्वाचन का पात्र होगा :

परन्तु ऐसे सदस्य के उस स्थानीय निकाय का जिससे वह निर्वाचित किया गया था सदस्य न रहते ही उसकी श्रवधि समाप्त हो जायगी ।

- (5) उपधारा (2) में उल्लिखिश विकास क्षेत्र से भिन्न किसी विकास क्षेत्र के संबंध में सलाह-कार परिषद् में, यदि कोई हो, इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त साधारण या व विशेष श्रादेश द्वारा श्रवधारित किये जायं ।
 - (6) परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाये जाने पर होगी : परन्तु ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी ।

7—प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजना के अनुसार विकसित करना और विकास सुनिश्चित करना होगा तथा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति का खर्जन, धारण, प्रबंध और ज्ययन करने, निर्माण, इंजीनियरी, खनन, और अन्य कियायें कार्यान्वित करने, जल और बिजली के प्रदाय के संबंध में संकर्म निष्पादित करने,मसका ज्ययन करने और अन्य सेवायें तथा सुखसुविधाये उपलब्ध करने तथा उन्हें बनाये रखने और साधारणतया ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिये तथा उसके आनुष्पिक प्रयोजनों के लिये तथा उसके आनुष्पिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीबीन प्रत्येक बात करने की अकित होगी:

प्राधिकरण का उद्देश्य

परन्तु इस श्रधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय इस श्रधिनियम की किसी भी बात का यह ग्रां नहीं लगाया जायगा कि वह प्राधिकरण को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की ग्रपेक्षा करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अध्याय 3

महायोजना श्रौर परिक्षेत्रीय विकास योजनाएं

8--(1) प्राधिकरण यथाशक्यशीझ विकास क्षेत्र के लिये एक महायोजना तैयार करेगा।

(2) महायोजना---

- (क) उन विभिन्न परिक्षेत्रों को परिनिश्चित करेगी जिनमें विकास क्षेत्र को विकास के प्रयोजनों के लिये विभाजित किया जा सकता है और यह रीति जिसमें प्रत्येक परिक्षेत्र में भूमि का (चाहे उस पर विकास क्रियान्वित करके या ग्रन्य रूप से) प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है और वे प्रक्रम जिनमें ऐसा विकास कार्यान्वित किया जायगा, उपविकास करेगी; ग्रीर
- (ख) उस रूप रेखा के बुनियादी नमूने के रूप में होगी जिसके श्रन्तर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों की परिक्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार की जा सकती हैं।
- (3) महायोजना में किसी ऐसी अन्य बात के लिये उप न्ध हो सकेगा जो विकास क्षेत्र के उचित विकास के लिये आवश्यक हो।
- 9—(1) प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ-साथ या तत्पश्चात् यथाशक्यशीझ उन परिक्षेत्रों में से, जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किये जा सकते हैं, प्रस्येक परिक्षेत्र के लिये एक रिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिये श्रप्रसर होगा ।

(2) परिक्षेत्रीय विकास योजना में---

परिक्षेत्र के विकास के लिये श्रवस्थित रेखा चित्र श्रीर उपयोग-योजना हो सकेंगी तथा परिक्षेत्र में सार्वजिनक मवनों श्रीर ग्रन्य सार्वजिनक तथा लोकोपयोगी संकर्मों, सड़कों, श्रावास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, ग्रस्पताल श्रीर सार्वजिनक तथा प्राइवेट खुले स्थलों श्रीर श्रन्य प्रकार के सार्वजिनक तथा प्राइवेट उपयोग जैसी बातों के लिये परिक्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की मोटो तौर पर श्रवस्थित श्रीर सीमाएं विश्तत हो सकेंगी;

- (ख) जनसंख्याकी सघनता ग्रौरभवनों की सघनताके मानक विनिविष्ट हो संकेंगे;
- (ग) परिक्षेत्र का प्रत्येक ऐसा क्षेत्र दिशत हो सकेगा जो प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिये अपेक्षित हो या घोषित किया जार; और
- (घ) विशिष्टतः निम्नलिखित समी बातों या उनमें से किसी के बारे में उपबद्धा म्रन्तिविष्ट हो सकेंगे, म्रर्थात्:---
 - (i) भन्नों के परिनिर्माण के लिये किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन;
 - (ii) सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन या आरक्षण ;
 - (iii) किसी क्षेत्र का नगरी या कालोनी में विकास तथा वे निर्वन्धन और झर्ते जिनके अवीन ऐसा विकास कार्य लिया जा सकता है अथवा कियान्वित किया जा सकता है ;
 - (iv) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण तथा भवनों में या जनके इदं-गिदं बनाए रखें जाने वाले खुले स्थानों के बारे में तथा भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्वत्वन और शतें ;
 - · (^v) किसी स्थळ के भवनों का संरेखण ;

विकास क्षेत्र का नागरीय सर्वेक्षण और उसके लिये महायोजना

परिक्षेत्रीय विकास योजनायें

- (vi) किसी स्थल पर परिनिमित किये जाने वाले किसी भवन के उठान या अब भाग का बास्तुकलात्मक स्वरूप ;
- (vii) प्लाट या स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासी भवनों की सख्या ;
- (viii) किसी स्वल या भवन के संबंध में ऐसे स्थल पर चाहे भवनों के परिक्रिमाण के पूर्व या परवात् उपलब्ध की जाने वाली सुख सुविधायें और वह व्यथित या प्राधिकारः जिसके द्वारा अथया जिसके व्यय पर ऐसी सुखसुविधायें उपलब्ध की जानें हैं;
- (ix) आस्यान में दूकानों, कर्मशालाओं, भाण्डामारो या कारण नो अयहा हि निर्दिष्ट वास्तुकलात्मक स्वरूप के अवनों या विकिष्ट प्रयोजनों के लिये रूपांदिस भदनों के परिनिर्माण के बारे में प्रसिवेध या निर्वन्धन ;
- (x) दीवारों, घेरों, बाड़ों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुद हः सक संनिर्माण का बनाये रखना और वह ऊंचाई जिस तक उनकी बनाये रखा जायेगा ;
- (xl) भवनों के परिनिर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिये किसी स्थल के प्रयोग के बारे में निर्वन्थन ;
- (xii) कोई अन्य बात जो परिक्षेत्र या उसके किसी क्षेत्र के योजना के अनुसार उचित विकास के लिये और ऐसे परिक्षेत्र या क्षेत्र में अध्यवस्थित ढंग से भक्तों के परिनिर्माण को रोकने के लिये आवश्यक हो।

योजनाओं का भनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तृत किया जाना

- 10-(1) इस घारा में और घारा 11, 12, 14 और 16 में "बोजना" शब्द से महायोजना तया किसी परिक्षेत्र के जिये परिश्लेत्रीय विकास योजना भी अभिन्नेत है।
- (2) प्रत्येक योजना तैयार किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीष्ट्र प्राधिकरण द्वारा राष्ट्र हरदार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायगी और वह सरकार योजना को या तो किसी परियर्तन के यिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे अनुमोदिस कर सकेंगे. अध्वः योजः को ऐसे निवेशों के समुसार नई योजना तैयार करने की कहा जाय।

योजना की तंयारी और उसके अनु-मोदन में अनु-सरण की जाने वाली प्रक्रिया

- 11—(1) प्राधिकरण किसी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पूर्व योजना का एक प्रारूप तथार करेगा और उसकी एक प्रति को निरोक्षण के लिये उपलब्ध करके तथा ऐसे प्रारूप और रीति में जो इस निमित्त विनियमों द्वारा विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करके जिसमें किसी भी व्यक्ति से यं जना के प्रारूप के बारे में ऐसी तारीख से पहले जो उस सूचना में विनिद्धि हो आपित्तयां और सुमाव आमंत्रित किये कार्येगे, उसे प्रकाशित करेगा।
- (2) प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्दर योजना से संपृक्त कोई भूमि स्थित है, योजना के बारे में अम्यावेदन करने का युवितयुक्त अदसर देगा ।
- (3) ऐसी आपतियों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर जो प्राधिकरण को प्राप्त हों, विचार करने के पञ्चात् प्राधिकरण योजना को अंतिम रूप से तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुस करेगा ।
- (4) इस घारा के पूर्वगामी उपवन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार प्राधिकरण को निवेश वे सकेगी कि वह ऐसी जानकारी उपलब्ध करें जो उस सरकार को इस घारा के अधीन उसे प्रस्तुत किसी योजना को अनुमोदित करने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

योजना के प्रारम्भ की तारीख 12—िकसी योजना के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण ऐसी रीति से जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें यह कथित होगा कि योजना अनुमोदित कर दी गयी है और वह स्थान बताया जाएगा जहां योजना की प्रति का किसी भी उचित समय पर निरोक्षण किया जा सकता है तथा पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख की योजना प्रवृत्त हो जायगी।

अध्याय 4

. महायोजना श्रौर परिक्षेत्रीय विकास योजना का संशोधन

योजनाओं का **संद्रो**घन 1——(1) प्राधिकरण महायोजना तथा परिक्षेत्रीय विकास योजना में ऐसे संशोधन कर सकेगा जो वह ठीक समझे ख़ीर जो इस प्रकार के संशोधन होंगे जिनकी बाबत उसकी यह राथ हो कि उनसे योजना के स्थरूप में महत्त्वुणं परिचर्बन नहीं होता और जो भूमि के उपयोग की सीमा अथया कन-संख्या की सधनता के मानकों से संबंधित नहीं हैं।

- (2) राज्य सरकार महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में कोई भी. संशोधन कर सकेगी चाहे ऐसे संशोधन उपघारा (1) में विनिद्धित प्रकार के हों या अन्य प्रकार के।
- (3) योजना में कोई संशोधन करन से पहले, ययास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार संबंधित विकास क्षेत्र में प्रचलित कम से कम एक समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के बारे में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारील से पूर्व जो उस सूचना में विनिद्धि हो आपित्यां और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सब आपित्यों और सुझावें पर उनके द्वारा विचार किया जायेगा।
- (4) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा जो, यशास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार धिनिविष्ट करे और ऐसे संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन को तारील को अधवा ऐसी अन्य तारील को, जो यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार नियत करे प्रवृत हो जायेंगे।
- (5) जब प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन योजना में काई संशोधन करे तब वह ऐसे संशोधनों की पूरी विशिष्टियों के बारे में राज्य सरकार को उस तारीख के, जिसको ऐसे संशोधन प्रमृत्त हों, तीस दिन के अन्दर रिपोर्ट देगा।
- (6) यदि ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या प्राधिकरण द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जिनसे योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं या यह कि क्या वह भूमि के उपयोग की सीमा अथवा जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित हैं तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस बाबत विनिश्चय अंतिम होगा।
- (7) अध्यय 3 के सिवाय किसी अन्य अध्याय में महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह इस धारा के अधीन यथासंशोधित महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रति निर्देश है।

अध्याय 5

भूमि का विकास

14—(1) किसी क्षेत्र के बारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के परचात् उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या निकाय द्वारा (जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) भूमि का विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायेगा या क्रियाम्बित नहीं किया जायेगा अथवा जारी नहीं रक्खा जायेगा जब तक ऐसे विकास के लिये लिखित अनुज्ञा इस अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार प्राधिकरण से प्राप्त न कर ली गई हो ।

विकसित क्षेत्र में भूमि का विकास

- (2) किसी विकास क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायगा या कार्यान्वित नहीं किया जायगा अथवा जारी नहीं रखा जायगा जब तक कि ऐसा विकास ऐसी योजना के भी अनुकूल न हो।
- (3) उपधारा (1) और (2) में अन्तिविष्ट किसी वात के होते हुए भी किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के विकास के संबंध में निम्निलिखित उपबन्ध लागू होंगे :--
 - (क) जब किसी ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकारी का भूमि का कोई विकास करने का आशय हो तब वह ऐसा विकास करने से कम से कम तीस दिन पूर्व प्राधिकरण को ऐसा करने के अपने आशय की लिखकर सूचना देगा जिसमें किन्हीं योजनाओं और दस्तावेजों के सहित उसकी पूरी विशिष्टियां होंगी ;
 - (ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग की दशा में यदि प्राधिकरण को कोई अपत्ति न हो तो उसे, विभाग के आशय की खंड (क) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह के अन्दर, ऐसे विभाग को सूचित कर देना चाहिये और यदि प्राधिकरण उक्त अविध के अन्दर कोई आपत्ति नहीं करता है तो विभाग प्रस्तावित विकास को कार्यान्वित करने के लिये स्वतंत्र होगा;
 - (ग) जहां प्राधिकरण प्रस्तावित विकास के बारे में इस आधार पर कोई आपत्ति करता है कि विकास किसी ऐसी महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुकूल नहीं है जो उसके द्वारा तैयार की गयी है या तैयार किये जाने के लिये आशिवत है अथवा किसी अन्य आधार पर आपत्ति करता है तो, यथास्थिति, ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकारी—
 - (i) या ती प्राधिकरण द्वारा उठाई गई आपित्तयों का निरंक्षरण करने के बास्ते विकास के लिये प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन करेगा, या

- (ii) विकास के लिये प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सिंहत खंड (घ) के अधीन विनिश्चयं के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (घ) राज्य सरकार प्राधिकरण की आपित्तयों सिहत विकास के लिये प्रस्ताव मिलने पर या तो प्रस्तावों को परिवर्तन के साथ या उनके बिना अनुमोदित कर सकेगा अथवा, यथास्थिति, विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को निदेश दें सकेगा कि वह ऐसे परिवर्तन करें जो सरकार द्वारा प्रस्तावित हों और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ;
- (ङ) उपघारा (1) के अधीन किसी घोषणा से पहले किसी ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आरम्भ किये गये किसी भूमि के विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपघारा (1) और (2) की अपेक्षाओं का पालन किये बिना पुरा किया जा सकेंगा।

अनुता के लिये आवेदन

- 15—(1) घारा 14 में निर्विष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला (सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय प्राधिकरण को एक लिखित आवेदन करेगा जो ऐसे प्ररूप में होगा और जिसमें उस विकास के संबंध में जिससे आवेदन संबद्ध है ऐसी चित्रिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ इतती फीस होगी जितनी विनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन मिलने पर प्राधिकरण धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (घ) में विनिद्ध्य िकसी मामले के संबंध में अथवा किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञा को ऐसी शतों के अधीन, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिद्धित्य हों, मन्जूर करेगा या ऐसी अनुज्ञा मन्जूर करने से इन्कार कर देगा:

परन्तु ऐसी अनुप्ता देने से इन्कार करने का आदेश देने से पूर्व आवेदक को इस बात का कारण दिखाने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा कि अनुज्ञा देने से इन्कार क्यों न किथा जाय:

परन्तु यह और कि ऐसे आवंदन पर कोई आदेश देने से पूर्व प्राधिकरण आवेदक को उसमें कोई शृद्धि करने अथवा कोई और विशिष्टियां या वस्तावेज देने अथवा अपेक्षित फीस में किसी कमी को पूरा करने का अवसर दे सकेंगा कि जिससे कि वह सुसंगत नियमों और विनियमों के अनुरूप हो जारे।

- (4) महां अनुज्ञा देने से इन्कार किया जाय वहां ऐसे इंकार के अधार लेखबद्ध किये जायेंगे और आवेदक को सूचित किये जायेंगे।
- (5) उपधारा (4) के अधीन आहेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आहेश की सूचना मिलने से तीस दिन के अन्दर उसके विरुद्ध अधिकरण से अपील कर सकेगा और अधिकरण अपीलार्थी को और यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण के प्रतिनिधि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो अपील को खारिज कर सकेगा या प्राधिकरण को निदेश दें सकेगा कि वह अनुजा को, जिसके लिये आदेदन किया गया है ऐसे परिवर्तनों के साथ या ऐसी शर्ती के अधीन, यदि कोई हों, जैसी विनिधिष्ट की जाय मन्जूर करे।
- (6) प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदनों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो विनियमों द्वारा विहित किया जाये।
- (7) उक्त रजिस्टर में उस रीति की बाबत, जिसमें अनुजा के लिये आवेदनों को निपटाया गया है, जानकारी सिहत ऐसी विज्ञिष्टियां अन्तिविष्ट होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, और वह किसी भी उचित समय पर पांच रुपये से अनिधिक की इतनी फीस देने पर जितनी विनियमों द्वारा विहित की जाय आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिये उपलभ्य होगा।
- (8) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार किया जाता है वहां आवेदक या उसके मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी गयी फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा किन्तु प्राधिकरण उपधारा (4) के अधीन इंकार के आधारों की सूर ना के तीन मास के अन्दर किये गये वापसी के आवेदन पर फीस के इतने प्रभाग की वापसी का निदेश दे सकेगा जितना वह सामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का प्रयोग 16-- िकसी परिक्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति उस परिक्षेत्र में किसी भूमि या भवन का प्रयोग ऐसी योजना के अनुसार ही करेगा और करने देगा अन्यथा नहीं:

परन्तु किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये और उस सीमा तक जिसके लिये और जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तारीख को जिसको ऐसी योजना प्रवृत्त होती है किया जा रहा हो, ऐसे निबंधनों और शर्ती पर जो उस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित हों, जारी रखना विधिपूर्ण होगा।

अध्याय 6

भूमि का अर्जन और व्ययन

17--(1) यदि किसी राज्य सरकार की राय में कोई भूमि इस अधिनियम के अवीन विकास के प्रयोजन के लियं या किसी अन्य प्रयोजन के लियं अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का अर्थ 1894 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपवंधों के अवीन अर्जन कर सकेगी:

भूमि का अनिवार्यं अंजन

का 1

परन्तु कोई भी व्यक्ति जिससे कोई भूमि इस प्रकार अजित की गई हो ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार से उस भूमि के उसकी वापस विये जाने के लिये इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि वह भूमि उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की गयी है जिसके लिये वह अजित की गई थी और यदि उस बाबत राज्य सरकार का समाधान हो जाय तो वह उन प्रभारों के, जो अर्जन के संबंध में उगात किये गये थे वारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित तथा ऐसे विकास प्रभारों के, यदि कोई हों, जैसे अर्जन के पश्चात् उपगत किये गये हों, पुनः संदाय किये जाने पर उसे भूमि को वापस देने का आदेश देगी।

- (2) जहां कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा ऑजत की गयी हो वहां वह सरकार उस भूमि पर कब्जा लेने के पश्चात् उस भूमि को उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह भूमि ऑजत की गयी है प्राधिकरण को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, उस प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का जो उस अधिनियम के अवीन दिलाया गया हो और अर्जन के संवंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का संदाय किये जाने पर अन्तरित कर सकेगी।
- 18--(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित दिवे गवे किन्हीं निदेशों के अवीन रहते हुए प्राधिकरण या ययास्यित संबंधित स्यानीय प्राधिकारी--
 - (क) राज्य सरकार द्वारा ऑजत और उसे अन्तरित किसी नुमि को, उस पर कोई विकास कार्य के लिए या कार्यान्वित किए बिना; या
 - (खं) किसी ऐसी भूमि को ऐसा विकास कार्य लेने या कार्यान्त्रित करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समसे ;

ऐसे व्यक्तियों के व्यवतार्य, ऐसी रीति में और ऐसे निबंबनों और शर्ती के अवीन जिन्हें वह विकास क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास सुनिध्चित करने के लिये सनीवीन समजे, दे सकेगा ।

- (2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अयं नहीं लगाया जायगा कि वह प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को उस भूमि का दान, बंधक या प्रभार के तौर पर व्ययन करने के लिये समर्थ बनाती है किन्तू इसके अथीन रहते हुए, इस अधिनियम में भूमि के व्ययन के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जायगा मानों वे उसके किसी भी रीति से चाहे विकय, विनियम या पट्टे के तौर पर अथवा किसी सुखाचार, अधिकार या विशेषाधिकार द्वारा या अन्य रूप से व्ययन के प्रति निर्देश हैं।
- 19—(1) राज्य सरकार, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों तया शर्तों पर जो उस सरकार के और प्राधिकरण के बीच तय पाये जायें, विकास क्षेत्र की किन्हीं विकसित और अविकसित भूमियों को जो राज्य में निहित हों (और जो नजूल भूमि के नाम से जात हैं और इसमें ऐसे निविध्द हैं) इस अधिनियम के उपवंधों के अनुसार विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण को व्ययनार्थ सींप सकेगी।
- (2) उपवारा (1) के अवीन किसी नजूल भूमि के प्राधिकरण को व्यवनार्थ सौंप दिये जाने के पश्चात् ऐसी भूमि का कोई भी विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अवीन ही लिया जायगा या कियान्वित किया जायगा अन्यया नहीं।
- (3) किसी ऐसी नजूल भूमि का प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अवीन विकास किये जाने के पश्चात् उसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही उस निमित राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार की जायगी ।
- (4) यदि उपयारा(1) के अबीन प्राधिकरण को व्ययनार्थ सौंपी गयी कोई नजूल भूमि तत्पश्चात् किसी समय राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो प्राधिकरण राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उस सरकार और प्राधिकरण के बीच तय पाये जायं पुनः उस सरकार को व्ययनार्थ सौंप देगा ।

प्राधिकरण द्वारा अयवा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि का व्ययन

नजुल भूमि

अध्याय 7 वित्त, लेखा ग्रौर लेखा परीक्षा

प्राधिकरण की निधि

- 20--(1) प्राधिकरणको अपनी निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा तथा उसमें निम्न-लिखित राशियां जमा की जायंगी :--
 - (क) राज्य सरकार से अनुदानों, उधारों, अग्रिम धनों के तौर पर या अन्य रूप से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशियां;
 - (ख) राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से उधारों या डिवेंचरों के तौर पर प्राधिकरण द्वारा ली गयी सब धनराशियां;
 - (ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब फीसें और प्रभार ;
 - (घ) भूमियों, भवनों और स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की अन्य संपत्तियों के व्ययन से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशियां ; और
 - (ङ) किरायों या लाभों के तौर पर अथवा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशिया ।
- (2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के प्रशासन में प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायगा न कि किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये ।
- (3) राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अवीन रहते हुए प्राधिकरण किसी अनुसूचित बेंक के चालू खाते में अपनी निधि में से इतनी धनराशियां रख सकेगा जितनी वह प्रत्याशित चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे और किसी अधिशेष धनराशि को ऐसी रीति में विनिहित कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।
- (4) राज्य सरकार, इस निमित्त विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्निम घन और उघार दे सकेगी जैसे वह सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक समझे तथा दिये गये ऐसे सब अनुदान उघार और स्निम घन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे जैसे राज्य सरकार अवधारित करें।
- (5) प्राधिकरण उघारों या डिबेंचरों के तौर पर घन (राज्य सरकार से भिन्न) ऐसे स्नोतों से और ऐसे निबन्धनों और क्षतों पर ले सकेगा जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।
- (6) प्राधिकरण उपधारा (5) के अधीन उधार ली गयी घनराशियों के प्रति संदाय के लिये एक शोघन निधि रखेगा और प्रत्येक वर्ष उस शोधन निधि में इतनी राशियां देगा जितनी इस प्रकार उधार ली गयी सब घनराशियों के नियत अविधि के अन्दर प्रतिसंदाय के लिये पर्याप्त हों।
- (7) क्षोधन निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग ऐसे उधार के प्रतिसंदाय में किया जायेगा जिसके लिये ऐसी निधि बनाई गई थी और जब तक ऐसे उधार का पूर्णतः प्रतिसंदाय न हो जाए तब तक उसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण का बजट

21—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिद्धिट करे, जिसमें प्राधिकरण की अनुमानित प्राधिक्यां और व्यय बींशत किये जायेंगे ।

लेखा और लेखा परीक्षण

- 22—(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य मुसंगत अभिलेख रखेगा और लखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिद्धिट करे।
- (2) प्राधिकरण के लेखे प्रति वर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित विश्वे जायेंगे और ऐसी परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा उसस्यानीय निधि लेखा परीक्षक को संदेय होगा ।
- (3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के तथा प्राधिकरण के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्षित के ऐसी परीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अग्य दस्तावेज और कागज पेश किये जाने की मांग करने का और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुष्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे तद्विषयक परीक्षा रिपोर्ट सिंहत राज्य सरकार को हर वर्ष भजे जायेंगे ।

1925 19 23—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के दीरान अपने कार्य-कलायों की एक रियोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसी राज्य सरकार विनिद्धिंट करें तथा ऐसी रिपोर्ट विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

वार्षिक रिपोर्ट

पेंशन और भविष्य निधि

24—(1) प्राधिकरण श्रपने पूर्णकालिक वैतिनिक सदस्यों के और अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें ऐसी पैंशन या भविष्य निधियां बना सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी कोई पेंशन या भविष्य-निधि बनाई गई है वहां राज्य सरकार घोषित कर सकेगी | 925 का कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 के उपवन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो ।

अध्याय 8

म्रनुपूरक ग्रौर प्रकीणं उपबंध

25--प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी स्थिक्त को इसके लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भूमि या भवन में सहायकों या मजबूरों के सिह्त या उनके बिना निभ्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश करे-- प्रवेश की शक्ति

- (क) ऐसी भूमि या भवन के संबंध में कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना अथवा सतह मालूम करना ;
- (ख) निर्माणाँघीन संकर्मी की परीक्षा और मलनालियों और जल-निकासों के मार्ग का पता लगाना ;
 - (ग) अंवभूमि खोदना या वेयनः;;

CELL.

- (घ) संकर्म की सीमायें और आशयित रेखायें नियत करना ;
- (ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां काटकर ऐसी सतह सीमा और रेखायें इनाना ;
- (च) इस बात का पता लगाना कि क्या किसी भूमि का विकास महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके अथवा धारा 14 में निदिष्ट अनुज्ञा के दिना अथवा किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयो थी किया जा रहा है या किया गया है, या
 - (छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक कोई अय वात करना; परन्तु--
 - (i) इस प्रकार कोई भी प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी को अथवा यदि अधिभोगी न हो तो उस भूमि या भवन के स्वामी को युवितयुवत सूचना दिये बिना नहीं किया जायेगा ;
 - (ii) हर हालत में महिलाओं को, यदि कोई हों, ऐसी भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा ;
 - (iii) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रयाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिये प्रवेश किया जाता है।

26—(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वप्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति अथवा (सरकार के विभाग सहित) किसी निकाय की प्रेरणा पर किसी भूमि का विकास-कार्य, महायोजना के या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके अथवा घारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के दिना अथवा ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, लेगा या कार्यान्वित करेगा, वह जुर्माने से जो दस हजार पये तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रयम वार किये जाने के लिये दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है पांच सौ एपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि का प्रयोग घारा 16 के उपवन्धों का उल्लंघन करके अथवा उस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमो द्वारा विहित किन्हीं निवंधनों और शर्तों का उल्लंघन करके करेगा वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले प्रपराध वास्तियां

की दशा में ग्रतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा श्रपराध उस ग्रपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् जारी रहता है दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 25 के स्रधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालेगा स्रथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करेगा वह कारावास से जिसकी स्रविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, स्रथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

भवन को गिराने का आदेश

27--(1) जहां महायोजना श्रथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुसा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अघीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास-कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है ग्रंथवा पूरा कर लिया गया है, वहां धारा 26 के उरबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त उसका कोई अधिकारी एक आदेश दे सकेगा जिसमें यह निदेश होगा कि ऐसा विकास-कार्य गिराकर, भराई करके ग्रयवा अन्य रूप से उसके स्वामी द्वाराया ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी प्रेरणा पर वह विकास-कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है भ्रथवा पूरा किया जा चुका है उस तारीख से जिसको कि उसके हटाने के आदेश की एक प्रति उसके कारणों के संक्षिप्त कथन सहित स्वामी को या उस व्यक्ति को परिदत्त की गई है, पन्द्रह दिन से श्रन्यून और चालीस दिन से श्रनधिक की इतनी श्रवधि के श्चन्दर जितनी उस क्र[ो]देश में विनिर्दिष्ट हो, हटा दिया जाए तथा ब्रादेश का श्रनुपालन करने में उसके ग्रसफल होने पर प्राधिकरण का भ्रधिकारी उस विकास-कार्य को हटा सकेगा या हटवा सकेगा श्रौर प्राधिकरण के उक्त श्रधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित ऐसे हटाए जाने के व्यय स्वामी से या उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था या किया जा रहा था ग्रयवा पूरा किया जा चुका था, भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ग्रीर ऐसे व्ययों की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई ब्रादेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वामी को या सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात का कारण दिखाने के लिये युक्तियुक्त ब्रवसर नहीं दिया जाता कि ब्रादेश क्यों न दिया जाए।

- (2) उपधारा (1) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर उसके विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण अपोल के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा अथवा आदेश को उलट सकेगा या उसके किसी भाग को परिवर्तित कर सकेगा।
- (3) प्रधिकरण ऐसे आदेश के निष्पादन को रोक सकेगा जिसके खिलाफ उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष अपील की गई हो।
- (4) श्रपील पर अधिकरण का विनिश्चय, श्रीर केवल ऐसे विनिश्चय के ही अधीन उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।
- (5) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट भवनों को गिराने से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकारक।

स्पष्टीकरण --इस धारा में "ग्रधिकरण" शब्द से धारा 37 के अधीन नियुक्त अधिकरण अभिप्रेत है।

विकास को ेकी शक्ति 28—-(1) जब महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना अथवा किन्हों ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है किसी विकास क्षेत्र में कोई विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है तब धारा 26 और 27 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जना प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी यह ज करने वाला आदेश दे सकेगा कि विकास-कार्य आदेश की तामील की तारीख को और उससे दिया जाए तथा ऐसे आदेश का तदनुकूल अनुपालन किया जाएगा।

उपधारा (1) के अधीन भ्रादेश के अनुसरण में विकास कार्य की बन्द नहीं किया म का उपाध्यक्ष या उक्त श्रधिकारी किसी पुलिस श्रधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा जिसके द्वारा वह विकास-कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा उसके सब सहायकों और ास के स्थान से इतने समय के अन्दर जितना उस अपेक्षा में विनिद्धिट किया जाए हटा अलिस अधिकारी तदनुकुल उस अपेक्षा का पालन करेगा।

- (3) उपघारा (2) के ब्रधीन ब्रपेक्षा का पालन किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित ब्रादेश द्वारा किसी पुलिस ब्रधिकारी को श्रयवा प्राधिकरण के किसी ब्रधिकारी बा कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिये कि विकास जारी नहीं रखा जाता है उस स्थान की देख-भाल करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा।
- (4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के श्रधीन श्रादेश का पालन करने में श्रसफल होगा वह बुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान श्रादेश की तामील के पश्चात् उसका पालन न किया जाना जारी रहता है दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- े (5) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे नुभ्सान के लिये जो उसे धारा 27 के ग्रधीन किसी विकास कार्य को हटाने के फलस्वरूप ग्रथवा इस धारा के ग्रधीन विकास-कार्य को बन्द करने के फलस्यरूप उठाना पड़े किसी प्रतिकर के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा।
- (6) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी श्रन्य विधि में श्रन्तविष्ट निर्माण कियायों को रोकने से सम्बन्धित किसी श्रन्य उपबन्ध के श्रतिरिक्त होंगे न कि उसके श्रल्पीकारक ।
- 29—धारा 12 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् विकास प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष को ऐसे अपवादों या परिवर्तनों के अधीन जैसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उसके ऐसे कृत्य होंगे जैसे सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी गठित करने वाली अधिनियमित के अधीन यथास्थिति उस स्थानीय प्राधिकारी या उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

प्राधिकरण को अन्य शक्तियों का प्रदान

30—(1) यदि इस ब्रिधिनयम के ब्रिधीन श्रपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस ब्रपराध के किये जाने के समय कम्पनी के कारवार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ हो वह कम्पनी भी उस ब्रपराध की दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार श्रपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दिष्डित किए जाने के भागी होंगे: कंपनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस श्रधिनियम में उपविच्यत किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर दें कि श्रपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या वा उसने ऐसे श्रपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपघारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निवेशक, प्रबन्धक, सिंचव या अन्य अधिकारी के सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निवेशक, प्रबन्धक, सिंचव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दिख्त किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टोकरण---इस धारा ूके प्रयोजनों के लिए---

- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत्री है अपेर इसके अन्तगंत कमं या व्यक्टियों का अन्य संगम भी है ;
 - (स) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिष्रेत है।
- 31--इस अधिनियम्] के अधीन अभियोजन के सम्बन्ध में वसूल किए गए सब जुर्माने प्राधिकरण को दिए जायेंगे।

वसूल किये नाने पर जुर्मानों का प्राधिकरण को दिया जाना ।

- 32—(1) इस अधिनियम के द्वारा या अभीन दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा (अथवा उस द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा) ऐसे निवन्धनों पर, जिनके अन्तर्गत शमन फीस के संदाय के बारे में कोई निबंधन भी आता है, जैसे प्राधिकरण (या ऐसा अधिकारी) ठीक समक्षे, शयन किया चा सकेगा।
- अपराघों का समन
- (2) जब किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है तब अगराधी यदि श्रभिरक्षामें हो सो निर्मुवत कर दिया जाएगा तथा शमन किए गए श्रपराध के सम्बन्ध में उसक खिलाफ कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

स्वामी द्वारा व्यतिक्रम की दला में
सक्ते खर्च पर
सूच सुविधाय
स्पलव्य करने
अपना निकास
क्रियान्नित करने
को तथा कुछ परिस्वतियों में उपकर
सद्महीत करने की
प्राधिकरण की

- 33—(1) यदि प्राधिकरण का, स्थानीय जांच करने के पश्चात अयवा अपने किसी अधिकारी से रिपोर्ट मिलने या अपने पास होने वाली किसी जानकारी पर, समाधान हो जाता है कि किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुखसुविधा उस भूमि को बाबत उपलब्ध नहीं की गई है जो कि प्राधिकरण की राय में उपलब्ध की जानी चाहिये थी या उपलब्ध की जानी चाहिए अथवा यह कि भूमि का कोई विकास जिसके लिए अनुजा, अनुभोदन या मंजूरी इस अधिनियम के अथीन या इस अधिनियम के अथीन या इस अधिनियम के अथीन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अथीन अभिप्राप्त की गई थी, क्रियान्वित नहीं किया गया है तो वह भूमि के स्वामी को या ऐसी सुख-सुविधा उपलब्ध करने वाले अथवा उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतने समय के अन्दर जितना आदेश में विनिद्ध हो मुख-सुविधा उपलब्ध करे या विकास कियान्वित करे।
- (2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कोई मुख-मुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है या कोई ऐसा विकास कियान्वित नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्वयं मुख-मुविधा उपलब्ध कर सकेगा वा विकास कियान्वित कर सकेगा अथवा उसे ऐसे अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध करा सकेगा या कियान्वित करा सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व प्राधिकरण भूमि के स्वामी को या सुधासुविधा उपलब्ध करने वाले अथवा उपलब्ध करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए।

(3) सुल-सुविधा उपलब्ध करने में या विकास को कियान्वित करने में प्राधिकरण द्वारा या धनके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत सब व्यय, ऐसी दर पर जेसी राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे उस तारील से जिसको व्यय के लिये मांग की जाती है उसके संदाय किए जाने तक को अविधि के लिये ब्याज सहित, प्राधिकरण द्वारा स्वामी से अथवा सुल-सुविधा उपलब्ध करने वाले या उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में बसूल किए जा सकेंगे तथा ऐसे व्यय की बसूली के लिए सिविल न्यायालय में बाद नहीं लाया जाएगा।

(4) पूर्वगामी उपवादाओं में अन्तिबंध्द किसी बात के होते हुए भी जहां किसी बिकाम क्षेत्र की किसी भूमि के इतने स्वामियों द्वारा, जितने उस भूमि के आधे से अन्यून क्षेत्र का तिनिधित्व कर लिखित अभ्यावेदन पर प्राधिकरण का समाधान हो जाए कि उस भूमि के सम्बन्ध में बाई ऐसी मुख्य मुविधा उपलब्ध नहीं की गई है जो प्राधिकरण की राय में उपलब्ध की जानी चाहिये थी या उपलब्ध की जाना चाहिये अथवा यह कि उस भूमि का विकास जिसके लिए अनुना, अनुनादन या मंजूरी इस अधिनियम के अवीन या इस अधिनियम के अवीन या इस अधिनियम के प्रवापन से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिप्राप्त की गयी थी कियान्वित नहीं किया गया है तो वह स्वय उस सुख-सुधिधा को उपलब्ध कर सकेगा या उस विकास को कियान्वित कर उत्तेगा अथवा उसे ऐसे अधिकरण के माध्यम से जिसे वह ठीक समझे उपलब्ध या कियान्वित करा सकेगा तथा व्ययों को उपकर के उद्ग्रहण द्वारा उस भूमि के सभी स्वामियों से बसूल कर सकेगा:

परन्तु यदि उन्त अभ्यावेदन करने वाले स्वामी यह तर्क पेश करें कि यह तय पाया गया था कि जिस कालोनाइजर या सहसारी आवास सोगाइटी से अथवा जिसके माध्यम से उन्होंने भूमि अजित की यी उसी द्वारा सुवनुविवाएं उपलब्ध की जाएंगी या विकास क्रियान्टित किया जाएगा तो, वे ऐसे करार की, अथवा अन्तरण विलेख की अथवा ऐसा करार समाविष्ट करने वाली सोसाइटी की उपविधियों की एक प्रति प्राधिकरण के पास फाइल करेंगे और प्राधिकरण द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएंगी जब तक कि यथास्थित कालोनाइजर या सोसाइटी को इस बात का कारण मताने की सूचना न दे दी गई हो कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए:

परन्तु यह और कि अहां त्राविकरण का समाधान हो जाए कि कालोनाइजर या सोसाइटी समाप्त हो गई है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है वहां अन्तिम पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सूचना कारी करना आवश्यक नहीं होगा।

- (5) उपघारा (4) में निर्दिष्ट उपकर, सुख-सुविधा उपलब्ध करने में या विकास को किया-न्विट करने में प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय तथा ऐसो दर पर जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करें संकर्म के पूरा होने की तारीख़ से संवाय तक की अविध के लिए ब्याज के बराबर होगा और भूमि के सुभी स्वामियों पर उनके स्वामित्वाधीन भूमि के प्रभागों के अलग-अलग क्षेत्रों के अनुपात के अनुसार निर्धारित और उद्गृहीत किया जाएगा।
- (6) उक्त उपकर इत्नी किक्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किक्त ऐसे समय पर और ऐसी रीति से संदेय होगी जो प्राधिकरण नियत करें तथा उपकर के कोई बकाया: भू-राजस्व की बकाया के रूप में बसूल किये जा सकेंगे, और उनकी बसूली के लिए सिविल न्यायालय में वाट नहीं लाया जाएगा।
- (७) प्राधिकरण अथवा इस धारा के अधीन उस द्वारा नियोज़ित अभिकरण द्वारा जुपगत व्यय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसा प्रमाणपत्र तथा उपधारा (५) के अधीन उपकर का निर्धारण भी, यदि कोई हो, अन्तिम होगा।

- (8) यदि भूमि के स्वामियों और उपघारा (4) में निर्दिष्ट कालोनाइजर या सोसाइटी के बीच किसी करार के अयीन मुखमुविघा उपलब्ध करने या विकास को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ऐसे कालोनाइजर या सोसाइटी पर थी तो स्वामियों द्वारा उस उपघारा के अधीन संदेय उपकर उनके द्वारा यथास्थित कालोनाइजर या सोसाइटी से बसूल किया जा सकेगा।
- 34—जहां प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र का विकास किया गया है वहां प्राधिकरण उस स्थानीय प्राधिकारी से जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्दर इस प्रकार विकसित क्षेत्र स्थित है यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन सुखसुविधाओं को बनाए रखने के लिये, जो उस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध की गई हों, तथा ऐसी सुखसुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध न की गई हों, किन्तु जो उसकी राय में उस क्षेत्र में उपलब्ध की जानी चाहिये, प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकारी के बीच तय पाये गए निबन्धनों और क्षतों पर जिम्मेदारी अपने उपर ले; और जहां ऐसे निबन्धन और शर्ते तय न पायी जा सकें वहां मामले को प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किए बाने पर उस सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके तय किये गए निबन्धनों या शर्तो पर से ।

कुछ परिस्यतियों
म स्थानीय प्राधिकारी से जिम्मेदारियों लेने की
की अपेक्षा करने की
प्राधिकरण की
शिकत ।

35—(1) जहां प्राधिकरण की राय में, किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किसी विकास स्कीम के निष्पादित किए जाने के फलस्वरूप उस क्षेत्र में जिसे विकास से फायदा हुआ है किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया है या बढ़ जाएगा वहां प्राधिकरण उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर विकास के निष्पादन के फलस्वरूप उस सम्पत्ति के मूल्य म वृद्धि की बाबत समुझति प्रभार उद्गृहीत करने का हकदार होगा:

समुन्नत्ति प्रभार उव्यहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति।

, ः परन्तु सरकार की स्वामित्वाघीन भूमियों के सम्बन्य में कोई समुन्नति प्रभार उद्गृहीत नहीं किया माएमाः

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे या अनुज्ञप्ति के तौर पर दी गई है वहां उस भूमि और उस पर स्थित किसी भवन पर इस घारा के अधीन समुज्ञति प्रभार लगाया जा सकेगा।

- (2) ऐसे समुन्नति प्रभार की रकम---
 - (i) विकसित की गई नगरी या कालोनी में, यदि कोई हो, अथवा विकसित किए गये या पुनविकसित किए गए अन्य क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति की बाबत उतनी रकम के एक तिहाई के बराबर होगी, और
 - (ii) पूर्वोक्त जैसी नगरी, कालोनी या अन्य स्थान से बाहर स्थित सम्पत्ति की दशा में उतनी रकम की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी,

जितनी से विकास स्कीम के निष्पादन के पूरे हो जाने पर सम्पत्ति का मूल्य, जो इस प्रकार प्राक्कित कियागयाहो मानो कि सम्पत्ति में भवन नहीं थे, ऐसे निष्पादन के पूर्व सम्पत्ति के मूल्य से जो उसी प्रकार प्राक्किति किया गया हो, अधिक हो ।

36—(1) जब प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई विशेष विकास स्कीम पर्याप्तरूप में इतनी आगे बढ़ गई है कि समुन्नति प्रभार की रकम का अवधारण किया जा सकता है तो प्राधिकरण उस निमित्त किए गए आदेश द्वारा घोषित कर सकेंगा कि समुन्नति प्रभार के अवधारण के प्रयोजन के लिए स्कीम का निष्पादन पूरा हुआ समझा जाएगा तथा तब वह सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि प्राधिकरण का विचारधारा 34 के अधीन सम्पत्ति की वावत समुन्नति प्रभार की रकम निर्धारण करना है।

प्राधिकरण द्वारा समुज्ञति प्रभार का निर्धारम ।

- (2) प्राधिकरण तब संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अयसर देने के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा संदेय समुश्नित प्रभार की रकम निर्धारित करेगा और ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण से ऐसे निर्धारण की लिखित सूचना मिलने की तारीख से तीन मास के अन्दर प्राधिकरण को लिखित घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है।
- (3) जब प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्धारण संबंधित व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट,अविध के अन्दर स्वीकार कर लिया जाता है तब ऐसा निर्धारण अंतिम होंगा ।
- (4) यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारण से असहमत है या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिदिष्ट समय के अन्दर प्राधिकरण को देने में असफल होता है नव मामला घारा 37 के अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 37——(1) घारा 27 के उपधारा (2) और (3) में और धारा 36 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामलों के अवधारण के लिए राज्य सरकार एक अधिकरण नियुक्त करेगी जिसमें एक सिविल न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल जज की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

अधिकरण समुन्नति नियत ⁽

- (2) अधिकरण इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी वह ठीक समझे।
- (3) अधिकरण को निर्दिष्ट किसी मामले का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसे वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के बारे में बाद का विचारण करते समय सिविल प्रकिया संहिता, 198 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्:---
 - (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना, तथा आपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
 - (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनकी पेक्षी अपेक्षित करना ;
 - (ग) कार्यवाही के किसी पक्षकार से ऐसे प्रक्तों के उत्तर मांगना जैसे अधिकरण की राय में आवश्यक हों;
 - (घ) ऐसे अन्य विषय जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए नाएं 🗀
- ं (4) अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 के अर्थ के अर्थ के अन्तर सिविल न्या- 1898 यालय समझा जाएना और अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की बारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।
- (5) अधिकरण के रूप में नियुक्त सिविल न्यायिक अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा 1861 जो राज्य सरकार साघारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।
- (6) अधिकरण के व्यथ जिनके अन्तर्गत उस रूप में नियुक्त सिविल न्यायिक अधिकारी को तथा उसके कर्मचारीवृन्द को संदेय पारिश्रमिक भी हैं, प्राधिकरण की निधि में रे दिए जाएंगे।
- (7) अधिकरण का विनिःचय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नारप्द नहीं किया जाएगा ।

समुन्नति प्रभार का संदाय)

- ं 8--(1) इस अधिनियम के अधीन उदमहीत समुज्ञति प्रभार इतनी दिस्तों में संवेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय और ऐसी रीति से संदेय होगी जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत की जाए।
- (2) समुन्नति प्रभार के कोई बकाया भू-राजस्व की बकाया के रूप में बसूल किये जा सकेंगे और ऐसी वकायों की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई बाद नहीं लाया जीएगा।

सम्पत्ति के कति-पय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

3 9-(1) स्थावर सम्पत्ति के किसी अन्तरण के विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क किसी विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित स्थावर सम्पत्ति की दशा में, उस प्रतिफल की जिसके निर्देश से उक्त अधिनियम के अधीन शुक्क संगणित किया जाता है, रक्षम या मूल्य पर दो प्रतिशत से बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्टारप शुल्क में वृद्धि की पूर्वोशत प्रतिशतरा को पांच तक बढ़ा सकेगी।

- (2) उक्त वृद्धि से होन वाले सभी संग्रह, आनुवंगिक व्ययों के, यदि कोई हों, घटाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा स्विवविकानुसार या तो केवल विकास प्राधिकरण को अथवा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और नगर महापालिका या म्युनिक्षिपल बोर्ड को, जैसी भी स्थिद हो, ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर अवधारित किया जाए ऐसी रोति में और ऐसे सिद्धांतों के अनसार जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे, आवंटित किए जायेंगे और दिये कार्येंगे
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की घारा 25 को 189 इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो उनमें विनिक्तिट रूप से यह अपेक्षित हो कि उसमें तिर्दिग्ट विक्रिव्टियां अधिक विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित सय्पत्ति और ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अक रूप से संव 🛭 ी जाएं।
- (4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 की इस प्रकार पढ़ा जाएगा और उसका ऐसे अर्थ किया जाएगा नानो वह विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को भी निर्दिष्ट करती हो।
- (5) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) क खण्ड (छ) आरधारा 191 के य० पी० म्युनिसिपलटी ऐक्ट, 1916 की घारा 128 के खण्ड (15-स) और घारा 128 क के और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62

के उपबन्ध वहां तक जहां तक वे इस घारा के उपबन्धों के विषद्ध हों प्रभावी नहीं रहेंगे और इस धारा के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

- (6) संयुक्त प्रांत सायारण खण्ड अधिनियम, 1904 की घारा 6, 8 और 24 के उपवन्ध ऐसी प्रभावहीनता के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे निरसन और पुनरिबनियमन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- 40— होई घनराशि जो प्राधिकरण द्वारा फीसों या प्रभारों लेखे, अयवा भूमियों, भवनों, या चाहे जंगम अयवा स्थावर, किसी भो प्रकार की सम्पत्तियों के व्ययन से अथवा किरायों और लाभों के तीर पर उसे देय प्रमाणित की गई हो, उस दशा में जिस में उसकी वसूली के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्य में स्पष्ट रूप से उपबन्ध में किया गया हो प्राधिकरण द्वारा भूराजस्व की वकाया के रूप में बसूल की जा सकेगी और ऐसी घनराशि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई बाद नहीं लाया जाएगा।

प्राधिकरण को देय घनराशियों की वसुली की पद्धति।

41--(1) प्राधिकरण ऐते निदेशों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण ।

- (2) यदि इस अधिनियम के अश्रीन प्राधिकरण द्वारा अपनी शिवतयों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निवंहन में या उनके सम्बन्ध में प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए तो ऐसे विवाद के बारे में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (3) राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्नेरण। पर अथवा इस निमित्त उससे आवेदन किए जाने पर प्राविकरण द्वारा निषदाए गए किसी मामले या किये गए किसी आदेश के अभिलेख, किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश की वैयता या उसके औचित्य की वाबत अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्त-पृक्ति अवसर दिए बिना नहीं देगी।

42——(1) प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी वेगा जैसी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षित करे।

विवरणियां और निरीक्षण ।

- (2) उपवारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राधि-करण या संवित स्थानीय प्राधिकारी से रिपोर्टे, विवर्णियां और अन्य जानकारी मांग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार द्वारा प्राविकृत कोई व्यक्ति या उपवारा (2) में निविष्ट अधिकारी किसी भूमि में सहायकों या मजदूरों के साथ या उनके बिना यह पता लगाने के लिये प्रवेश कर सकेगा कि क्या महायोजना के उपवन्थों का कार्यान्वयन किया जा रहा है या किया जा चुका है अथवा क्या विकास को ऐसी योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है या किया जा चुका है।
- (4) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय किए जाने के सिवाय और अधिभोगी को अयवा यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जाएगा।

43——(1) इत अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामोल किये जाने के लिये अपेक्षित सभी सूचनायें, आदेश और अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा विनियम में अन्यथा उपबंधित का छोड़कर निम्नलिखित दशाओं में सम्यक् रूप से तामोल किए गये समझे जाएंगे—

सूचनाओं आदि की तामील ।

- (क) जहां वह व्यक्ति जिसको तामील की जानी है कम्पनी है वहां यदि दस्तावेज-कम्पनी के सिवव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के या उसके मुख्य कार्यालय के या कारवार के स्थान के पते से संबोधित है और या तो—
 - (i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या
 - (ii) कम्पतो के रजिस्ट्रोकृत कार्यालय में या मुख्य कार्यालय अथवा कारवार के स्थान में परिवक्त किया जाता है ;

- (स) जहां वह व्यक्ति जिसे तामील की जानी है कोई फमं है, यदि दस्तावेज उस फमं को उसके कारवार के मुख्य स्थान के पते से, उसकी उस नाम या अभिनाम से पहचान कराकर जिसके अधीन उसका कारवार चलाया जाता है, संबोधित है और या तो—
 - (i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या
 - (ii) उन्त कारवार के स्थान पर परिवत किया जाता है ;
- (ग) जहां वह व्यक्ति जिसे तामील की जानी हैं कोई सार्वजनिक निकाय है यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिद, खजांची या अन्य मुख्य अधिकारी को उसके मुख्य कार्यालय के पते से संबोधित है और या तो --
 - (i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या
 - (ii) उस कार्यालय में परिक्त किया जाता है ;
- (घ) किसी अन्य दशा में यदि दस्तावेज तामील किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित है और---
 - ∬(i) ७से दिया या प्रस्तुत किया जाता है, या
 - (ii) यदि ऐसा व्यक्ति पाया नहीं जा सकता तो उसके अंतिम ज्ञात निवास के या कारवार के स्थान के यदि वह विकास क्षेत्र के अन्दर हो तो किसी सहजबृध्य भाग पर लगा दिया जाता है अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को दिया या परिदत्त किया जाता है अथवा उस भूमि या भवन के जिससे वह सम्बन्धित है किसी सहजबृध्य भाग पर लगा दिया जाता है, या
 - (iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा दिया जाता है।
- (2) कोई दस्तावेज जो किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किए जाने के लिए अवेक्षित या प्राधिकृत है उस भूमि या भवन क (जिस भूमि या भवन का नाम दिया जायगा) यथास्थित "उस स्वामी" या "उस अधिभोगी" को अतिरिक्त नाम या वर्णन के बिना संबोधित किया जा सकेगा; और उस दक्षा में सम्यक् रूप से तामील किया गया समझा जाएगा जिसमें,—
 - (क) इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार भेजा या परिचत्त किया जाता है, या
 - (ख) इस प्रकार सम्बोधित दस्ताबेज या इस प्रकार सम्बोधित उसकी एक प्रति उस भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति की परिदत्त की जाती है या जहां उस भूमि या भवन पर कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी उसे परिवत्त किया जाए उसे उस भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर छगा दिया जाता है।
- (3) जब कोई दस्तावेज उपवारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी फर्म पर तामील किया जाता है सब वह दस्तावेज उस फर्म के प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया समझा जाएगा।
- (4) फिसी सम्पत्ति के स्वामी पर किसी दस्तावेज की तामील कर सकने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का सिव्य सम्पत्ति क अधिभोगी से (यदि कोई हो) लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके स्वामी का नाम और पता बताए।
- (5) जब वह व्यक्ति जिस पर किसी दस्तावेज की तामील की जानी हो अवयस्क हो तब उसके संरक्षक या उसके कुदुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जाएगी ।
 - (6) इस घारा के अन्दर सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

लोक सूचना के दिये जाने का ढंग 44—इस अधिनियम के अभीन दी जाने वाली प्रत्येक लोक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में होगी और उससे प्रभावित होने वाले स्थान में उसकी व्यापक रूप से जानकारी उक्त स्थान के अन्दर सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतियां लगाकर या हुग्गी पिटवाकर उसके प्रचार द्वारा अथवा उस स्थान में प्रचलित किसी समाचारपत्र में विज्ञापन करके अथवा इन साधनों में से किन्हीं दो या अधिक द्वारा और ऐसे किन्हीं अन्य साधनों द्वारा कराई जाएगी जसे सचिव ठीक समझे।

सूचनाओं आदि द्वारा युम्तियुक्त समय नियत करना 45—जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गयी अथवा दी गई किसी सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज में किसी एसी बात का किया जाना अविक्षित हो जिसके किए जाने के लिए इस अधिनियम या नियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया गया है वहां वह सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज उसे करने क लिए एक युक्तियुक्त समय विनिद्धित करेगा।

46—-प्राधिकरण की सब अनुजाएं, आदेश, विनिश्चय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण हे सचिव अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि-प्रमाणित किये जाएंगे। प्रधिकरण के आदेशों और दस्तावेओं का अधिप्रमाणीकरण।

47—प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की घारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। सदस्यों और अघि-कारियों का लोक सेवक होना ।

48--प्रयम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अगराघ का विचारण नहीं करेगा। न्यायालयों की अधिकारिता ।

49--इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के विना संस्थित महीं किया जाएगा । अभियोजन की मंजूरी।

50--इस अधिनियम या तर्घोन बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम के अधीन सर्भाव-पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति क विरुद्ध न होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण ।

51—-(1) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जान वाली कोई शिवत ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शतों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, प्रयोग की जा सकेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

- (2) प्राधिकरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति को सिवाय इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिद्धिट हों, प्रयोग की जा सकेगी।
- (3) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष साघारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश हे सकेगा कि इस अधि-नियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिद्धिट हों, प्रयोग की जा सकेगी ।

52--इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी--

व्यावृत्तियां

- (क) किसी भवन के अनुरक्षण, सुघार और अन्य परिवर्तनों के लिये संकर्मों को ऋयान्वित करना जो संकर्म ऐसे हैं जिनसे भवन के केवल भीतरी भाग पर प्रभाव पड़ता हो या जिनसे भवन के बाह्य रूप पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो ;
- (ख) किन्हीं जल-निकासों, मलनालियों, मुख्य नलों, पाइपों, केबलों या अन्य साधित्र के निरीक्षण, उसकी मरम्मत या उसके निरीक्षरण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा किन्हीं संकर्मी का कियान्वित किया जाना जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य भूमि को तोड़ना भी है;
- (ग) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसकी ओर से क्रियाओं से सम्बन्धित निर्माण (जिसके अन्तर्गत अनुरक्षाण, विकास और नए निर्माण भी हैं);
- (घ) निवासगृहन होने वाले किसी भवन का परिनिर्माण यदि ऐसा भवन कृषि की सहायता के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो;
- (ङ) कृषिक कार्यवाहियों के सामानय कम में किए गए उत्खनन (जिनके अन्तर्गत कुएं भी हैं), और
- (च) कच्ची सड़फ का निर्माण जिसका उद्देश्य केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंच प्राप्त कराना हो।

53—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अथिसूचना द्वारा ऐसी शर्तो और निर्वन्धनों के अधींन, यदि कोई हों, जैसी उस अधिसूचना में विनिदिष्ट की जाए किसी भिम या भवन को अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को इस अधिनियम या तब्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों में सभी उपवन्धों या उनमें से किसी से छूट दे सकेगी।

छूट

कतिषय परिस्थि-तियों में योजनाओं का परिवर्तित होना

- 54—(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में स्थित कोई भूमि महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना द्वारा खुले स्थानों के रूप में या भवन रहित रूप में रखी जाने के लिए अपेक्षित है अथवा किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के अधीन होनी उल्लिखित है वहां यदि घारा 12 के अधीन योजना के प्रवृत्त होने की तारीख से या जहां ऐसी भूमि की ऐसी अपेक्षा या ऐसा उल्लेख ऐसी योजना के संशोधन द्वारा किया गया है वहां घारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख से वस वर्ष की समाप्ति पर उस भूमि का अनिवार्य अर्जन नहीं किया गया है तो उस भूमि का स्वामी उस भूमि में अपने हित के उस प्रकार ऑजत किए जाने के लिए अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार पर सूचना की तामील कर सकेगा।
- (2) यदि राज्य सरकार सूचना मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के अन्दर ऐसी भूभि का अर्जन नहीं करती है तो यथास्थिति महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना उक्त छह मास की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार प्रभावित होगी मानो वह भूमि खुले स्थान के रूप में या भवन रहित रूप में रखी जाने के लिए अपेक्षित नहीं थी या अनिवार्य अर्जन के अधीन होनी उल्लिखित नहीं थी।

नियम बनाने की शक्ति

- 55--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शिव्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपवन्ध कर सकेंगे, अर्थातु:——
 - (क) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पर दी जाने वाली फीस और ऐसी फीस निर्धारित करने में ध्यान में रखी जाने वाली वार्ते और परिस्थितियां;
 - (ख) समुन्नति प्रभार के अवधारण में अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रिक्रियाएं और वे शिक्तियां जो उसे उस प्रयोजन के लिए प्राप्त होंगी;
 - (ग) फोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शिष्ट्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन से अन्यून की अविष के लिए, जो उसके एक सत्र या ठीक बाद के एक से अधिक सत्रों तक विस्तारित हो सकेगी, रखे जाएंगे तथा उस वशा के सिवाय जिसमें कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत की गई हो राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ऐसे उपान्तर या बातिलकरण के अधीन प्रभावी होंगे जैसे विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हो जाएं। किन्तु किसी ऐसे उपान्तर या बातिलकरण का इसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

- 56--(1) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनमोदन से उस प्राधिकरण के कामकाज के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना ऐसे विनियम निम्निलिखत विषयों में से सब या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :---
 - (क) प्राधिकरण की बैठकें बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठकें होंगी, ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन और उसमें कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;
 - (ल) प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेला अधिकारी की शवितयां और कर्तव्य;
 - (ग) सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शतें;
 - (घ) अध्याय 3 और 4 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया;
 - (इ.) अनुज्ञा के लिए आवेदन के रिजस्टर का प्ररूप और ऐसे रिजस्टर में अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियां;
 - (च) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध ।
- (3) जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के लिए कोई प्राधिकरण स्थापित नहीं कर विया जाता तब तक कोई ऐसा विनियम जो उपधारा (1) के अधीन वनाया जा सकता है राज्य सरकार

हारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संबंधित प्राधिकरण हारा उपघारा (1) के अधीन अपनी शस्तियों का प्रयोग करते हुए परिवृत्तित या विखंडित किया जा सकेगा ।

57—प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आम जनता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी उपविधियां बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हो और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधियां निम्नलिखित के लिए उपवन्ध कर सकेंगी: उपविधियां बनाने की शक्ति

- (क) वह प्ररूप जिसमें घारा 15 की उपघारा (1) के अधीन अनुजा के लिए आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियां ;
- (ख) धारा 16 में निर्दिष्ट वे निवंधन और शर्ते जिनके अधीन योजनाओं के उल्लंघन में भूमियों और भवनों का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा;
 - (ग) घारा 38 के अधीन समुझति प्रभार के संदाय का समय और रीति।
- 58--(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि उन उद्देश्यों को जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण स्थापित किया गया था पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया गया है जिससे कि राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक हो गया है वहां वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगो कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिविष्ट की जाए, विघटित हो जाएगा; और प्राधिकरण तद्नुकूल विघटित हुआ समझा जाएगा।

प्राधिकरण का विघटन

(2) उक्त तारीख से---

- (क) ऐसी सभी सम्पत्तियां, निषयां और राशियां जो प्राधिकरण में निहित या उस द्वारा वसूल की जानी है राज्य सरकार में निहित होंगी या उस द्वारा वसूल की जाएंगी;
- (ख) प्राधिकरण के व्ययनार्थ दी गई समस्त नजूल भूमि राज्य सरकार को वापस हो जाएगी;
- (ग) ऐसे सब दायित्व जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे; और
- (घ) किसी ऐसे विकास को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा खंड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निषियों और राशियों को वसूल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।
- 59---(1) (क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की घारा 5 के खंड (ग), थारा 54, 55 और 56, घारा 114 के खंड (35), घारा 117 की उपघारा (3), घारा 119 की उपघारा (1) के लंड (ग), घारा 191, घारा 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 333, घारा 334 की उपघारा (1) के खंड (क) और (ख), घारा 335, 336, अध्याय 14, संयुक्त प्रान्त म्यूनिसिपैलिटी अधिनियम, 1916 की घारा 178, 179, 180, 180-F, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222 (या उसकी घारा 338 के अघीन अथवा संयुक्त प्रान्त नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 की घारा 38 के अधीन यथा विस्तारित उक्त घाराओं) का अथवा यथास्थिति उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की बारा 162 से लेकर 171 तक का और उत्तर प्रदेश (निर्माण क्रियाओं का विनिधमन) अधिनियम, 1958 तथा (ऐसी आवास या सुघार स्कीमों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन 12 जुन, 1973 के पूर्व प्रारम्भ हो गया या और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट की जाएं तथा जिन्हें इस घारा में इसके पञ्चात् 'चालू आवास परिषद् स्कीम 'कहा गया है) उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन, किसी भी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में निलम्बित रहेगा और उत्तर प्रदेश नंगरपालिका अधिनियम, 1959 की घारा 139 की उपधारा (3) का ऐसे प्रभाव होगा मानो विकास निधि के गठन के बारे में अपेक्षा उस क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन की तारीख से ऐसे प्राधिकरण के विघटन तक निलम्बित कर दी गई थी और संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपवन्ध ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो वह निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अघिनियमितियों का निरसन था, और विशिष्टतया उक्त अधिनियमितियों के अघीन सुधार स्कोमों के लिए भूमि के अर्जन और भूमि में हित से सम्बन्धित सब कार्यवाहियां जो ऐसे निलम्बन से ठीक पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लिम्बत थीं, जारी रखी जा सकेंगी और उक्त अधिनियमितियों के उपबन्धों के अनुसार (जो यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे) ऐसे पूरी को जा सकेंगी मानो वे उपवन्घ निर्लम्बत नहीं किए गए थे ।

निरसन आदि और व्यावृत्तियां

- (ख) खंड (क) के आधार पर निलम्बित उपवन्धों का प्रवर्तन घारा 58 के अधीन प्राधिकरण के विवटन पर पुनः प्रचलित हो जाएगा और संयुक्त प्रान्त साधारण खंड अधिनियम, 1904 की घारा 6 के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के लागू होने की समाप्ति के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐती समाप्ति उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के इन उपबन्धों का निरसन बी।
- (2) जहां कोई क्षेत्र, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त नगर विकास अधिनियम, 1919 के अधीन गठित कोई सुधार न्यास विद्यमान हैं, धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां उक्त अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961 भी यदि लागू हो, तो ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के गठन की तारील से निरसित हो जाएगा और सुधार न्यास उस तारील से विघटित हो जाएगा।
- (3) किसी ऐसे विकास क्षेत्र के संबंध में जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित कोई सम्पूर्ण शहर है, विकात प्राधिकरण के गठन की सारीख को, और उससे, उस शहर की नगर महापालिका के अवीन सेवा करने वाला प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीकृत) सेवा नियम, 1966 के अधीन गठित सेवाओं में से, जिन्हें इस बारा में इसके पश्चात् केन्द्रीकृत सेवाएं कहा गया है, किसी का सदस्य न हो और जो विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व उक्त अधिनियम के अध्याय 14 के अधीन उसके कार्यवाही के संबंध में ही सेवा कर रहा हो ऐसी तारीख को, और उससे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया माएगा और उसका अधिकारो तथा अन्य कर्मचारी हो जाएगा जिसका ऐसा पदाभिधान होगा जैसा प्राधिकरण अवधारित करे और जो उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर उस दशा में पद धारण करता जिसमें प्राधिकरण का गठन किया गया होता तथा तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक ऐसी अवधि पारिश्रमिक और निबन्धन और सर्तें प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं:

परन्तु प्राधिकरण के गठन से पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्वचारी द्वारा नगर नुमहापालिका के अधीन की गई कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में नियोजित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे, तथा प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी तश्नुकूल उन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

- (4) किसी ऐसे विकास क्षेत्र की वाबत, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अविनित्मम, 1959 में यथा परिभाषित कोई सम्पूर्ण शहर है, विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख को, और उससे, उस शहर की नगर महापालिका के अधीन सेवा करने वाला केन्द्रीकृत सेवा का प्रत्येक सदस्य जो विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व उक्त अधिनियम के अध्याय 14 के अधीन उसके कियाकलापों के संबंध में ही सेवा कर रहा था ऐसी तारीख को, और उससे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया जाएगा और उसका ऐसा पदाभिधान होगा जैसा राज्य सरकार अवधारित कर वह सभी मामलों में ऐसी केन्द्रीकृत सेवा का सदस्य बना रहेगा और सेवा के वैसे ही अन्य निवन्धनों और शती के (जिनके अन्तर्गत अन्तरण किए जाने की शर्ते भी हैं) अधीन होगा जिनके अधीन यह उस दिशा में होता जिसमें उसकी सेवाएं प्राधिकरण को उस प्रकार अन्तरित न की गई होती ।
- (5) विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व उपधारा (2) में निविध्य सुवार न्यास के अधीन सेवा करने वाला प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी तारीख को, और उससे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया जाएगा और उसका अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा जिसका पर्वाभिधान ऐसा होगा जैसा प्राधिकरण अवधारित करें और जो उस अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के वैसे ही निवन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह उस दशा में पद धारण करता जिसमें प्राधिकरण गठित नहीं किया गया होता तथा वह तब तक वैसा करता रहेगा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निवन्धन और शर्ते प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं:

परन्तु प्राधिकरण के गठन से पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा न्यास के अधीन की गई कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समसी जाएगी:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुकल निर्वहन करेगा।

(6) उपवारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी---

(क) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना या दिया गया

आदेश या बनायो गई स्कीम अथवा दी गई अनुज्ञा भी है) वहां तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से ग्रसंगत न हो प्रवृत बनी रहेंगी और इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अधिकान्त नहीं कर दी जाती;

- (ख) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए अनन्य रूप से उन फ़ृत्यों के पालन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों उपगत सब ऋण, आधार और दायित्व, की गई सब संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सब मामले और बातें संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;
- (ग) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास में निहित सभी जंगम और स्थावर सम्यत्तियां संबंधित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में, जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों, निहित सब जंगम और स्थावर सम्पत्तियां संबंधित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी;
- (ध) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास को या अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों देय सब किराए, फीस और अन्य धनराक्षियां संबंधित विकास प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी;
- (ङ) ऐसे सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, उसके लिए या उसके खिलाफ, ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों, संस्थित की गई हों या संस्थित की जा सकती थीं विकास प्राधिकरण के द्वारा उसके लिए या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी या संस्थित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की घारा 139 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास निधि, और उस निधि से सजित सब सम्पत्तियां तथा महापालिका द्वारा, उसके साथ या उसके लिए ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में या उक्त सिधिनयम के अध्याय 14 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के संबंध में उपगत अब ऋण, आभार और दायित्व, की गई सब संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और वातें इस अधिनियम द्वारा विकास, प्राधिकरण को सौंपे गए कृत्यों के निष्य दन से संबंधित समझी जाएंगी और खण्ड (क), (स), (ग), (घ) और (ङ) तद्नुकूल लागू होंगे।

- (7) यदि स्थानीय प्राधिकारी या विकास प्राधिकरण के बीच इस वरवत कोई विवाद हो जाए कि क्या उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), और (घ) के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, उसके साथ या उसके लिए कोई ऋण, आमार या दायित्व उपगत किया गया था या कोई संविदा की गई थी या कोई वश्त करने के लिए बचनवद्ध किया गया था या किसी स्थानीय प्राधिकारी में कोई सम्पत्ति निहित थी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी को अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस्युंजिविनयम द्वारा विकास प्राधिकरण को सींपे गए थे कोई किराया, कीस या अन्य धनरािंश वेय थी तो वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।
- (8) यदि इस बाबत कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संबंधित नगर महापालिका का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अध्यान 14 के अधीन ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए विकास प्राधिकरण गठित किया गया है कृत्यों के निष्पादन के संबंध में नियोजित था तो वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।
- (9) उपधारा (3) और (5) की कोई बात नगर महापालिका या यथास्थिति, सुघार न्यास के ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो संबंधित विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख़ से एक मास के अन्वर उस महापालिका या न्यास को अपने इस विकल्प की इत्तला दे देता है कि वह विकास प्राधिकरण का कर्मधारी नहीं होना चाहता और उस निकाय द्वारा ऐसी इत्तला की प्राप्ति पर उसके अधीन उसका नियोजन तुरन्त समाप्त हो जाएगा और उस निकाय के अधीन उसका पद समाप्त हो जाएगा और वह उस निकाय के अधीन उसका पद समाप्त हो जाएगा और वह उस निकाय से निम्नलिखित प्रतिकर पाने का हकदार होगा—
 - (क) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व स्थायी हैसियत में नियोजित था तो तीन मास क वतन क बराबर;

(ख) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व अस्यायी हैसियत में नियोजित या तो एक मास के वेतन के बराबर।

स्पद्धीकरण---इस उपधारा में "वेतन" पद के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, विशेष तनखाह या कोई अन्य समान नियतकालिक भत्ता या तनखाह भी है।

- (10) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण उसे उस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हुकदार नहीं बनाएगी और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
- (11) उपघारा (3) और (5) में अन्तिबिब्द किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात और विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति की गई किसी नियुक्ति या प्रोजति, बेतन वृद्धि, उसे दी गई वेंशन, उसे दिया गया भत्ता या कोई अन्य फायदा, जो विकास प्राधिकरण की राय में सामान्यतया नहीं किया जाता या दिया जाता अथवा सामान्यतया इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पवृत्त सेवा के निवन्धनों और शर्तों के अधीन अनुजेय नहीं होता, प्रभावित नहीं होगा, या विकास प्राधिकरण द्वारा संदेय नहीं होगा अथवा विकास प्राधिकरण से या किसी भविष्य निधि या अन्य निधि से अथवा निधि को प्रशासित करने वाले किसी प्राधिकरण से उसका दावा नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस नियुक्ति, प्रोन्नित या वृद्धि को पुष्ट न कर दिया हो या यथा स्थित उसपेंशन, भते या अन्य पायदे के दिये जाने के जारी रखने का निदेश न दे दिया हो।
- (12) उपवारा (3) या उपवारा (5) में निहिन्द अविकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिये गठित किसी पैंचन, भविन्य-निधि, उपदान, या अन्य समान निधि के जो व्यक्ति विकास प्राधिकरण के गठन की तरीख से ठोक पूर्व न्यासी हों और जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नाम-निर्देशित न्यासियों से भिन्न हों उनके स्थान पर न्यासियों के रूप में ऐसे व्यक्ति रखे जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिदिन्द करे।
- (13) उपघारा (6) के लण्ड (ल), (ग), (घ) और (ड) के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अध्याय 14 के अधीन नगर महापालिका के सब इत्य तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् स्कीम से तम्बन्धित कृत्यों से भिन्न हों, इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण की सौंपे गए इत्य समझे जाएगे।

1973 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संस्था 7

- 60--(1) उत्तर प्रदेश नागर नियोजन तथा विकास अध्यादेश, 19:3 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसनके होते हुए भी उन्त अध्यादेश के अधीन की गई काई बात या काई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी भानो यह अधिनियम, 1973 के जून की बारह तारीख़ को प्रारम्भ हो गया था।

वराह गिरि वेंकट गिरि, राष्ट्रपति

के॰ के॰ सुन्दरम्, सचिव, भारत सरकार।

द्र्यधिनियमन के कारण

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 12 जून, 1973 की उत्तर प्रदेश नागर नियोजन तथा विकास अध्या-देश, 1973 प्रकापित किया जिसमें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् द्वारा यथापारित उत्तर प्रदेश नागर नियोजन तथा विकास वियेयक, 1973 के उपवन्य दिये गये थे। इस अधिनियमन के कारण नीचे दिये गये हैं।

2—उत्तर प्रदेश राज्य के विकासशील क्षेत्रों में नगर योजना और नगर विकास की समस्याओं को ढ़ता के साथ हल करने की आवश्यकता है। विद्यमान स्थानीय निकाय और प्राधिकारी अपने भरसक प्रयत्नों के बावजूद इन समस्याओं की उस हद तक निपटाने में समर्थ नहीं हो सके हैं जिस हद तक वाछनीय है। इस परिस्थित को सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह उचित समझा है कि ऐसे विकासशील क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नमूने के विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाएं।

करा पर प्रति । चूकि, राज्य सरकार, की यह राय थी कि राज्य में नगर विकास और योजना का कार्य पहले ही काफी विलिम्बत हो चुका है इसलिये ऐसे प्राधिकरणों को जल्दी स्थापित करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया ।

3--वर्तमान विद्यानं इसलिए बनायां गयां है कि पूर्वोक्त अध्यादेश का स्थीन राष्ट्रपति का अविनियम ग्रहण करे।

4—उत्तर प्रदेश राज्य वियान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 को 33) की धारा 3 की उपयोग (2) के परन्तुक के अयोन गठित समिति से इस विधान को राष्ट्रवित के अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने के पहले परामर्श कर लिया गया है।

ए० एन० किटवई, सर्विष भारत सरकार, निर्माण और आवास मन्त्रालय।

No. 2979 (2) /XVII-V-1/8/73

Dated Lucknow, September 2, 1973

The following President's Act enacted on September 2, 1973 is published for general information:

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

(PRESIDENT'S ACT No. 11 of 1973)

Enacted by the President in the Twenty Fourth Year of the Republic of India.

AN ACT

to provide for the development of certain areas of Uttar Pradesh according to plan and for matters ancillary thereto.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows:

CHAPTER I PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

Short title and extent.

- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh, excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of defence.
 - 2. In this Act unless the context otherwise requires-

(a) "amenity" includes road, water supply, street lighting, drainage, sewerage, public works and such other convenience as the State Government may, by notification in the Gazette specify to be an amenity for the purposes of this Act;

- (b) "building" includes any structure or erection or part of a structure or erection which is intended to be used for residential, industrial, commercial or other purposes, whether in actual use or not;
- (c) "building operations" includes rebuilding operations, structural alterations of, or additions to, buildings and other operations normally undertaken in connection with the construction of buildings;
 - (d) "bye-law" means a bye-law made under this Act by the Development Authority;

(dd) chairmen and Vice- Chairmen & Shall onem respectively in Chairman and on wee chairmen of the Development Aprillarity.

13/25-

Definitions.

- (e) "development", with its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, on, over or under land, or the making of any material change in any building or land, and includes re-development;
- (f) "development area" means any area declared to be a development area under section 3;
- (g) "the Development Authority" or "the Authority", in relation to any development area, means the Development Authority constituted under section 4 for that area;
- (h) "engineering operations" includes the formation or laying out means of access to a road or the laying out of means of water supply;
- (i) "means of access" includes any means of access, whether private or public, for vehicles or for foot passengers, and includes a road;
- (j) "regulation" means a regulation made under this Act by the Development Authority;
 - (k) "rule" means a rule made under this Act by the State Government;
 - (1) "to erect a building", with its grammatical variations, includes-
 - (i) any material alteration or enlargement of any building;
 - (ii) the conversion, by structural alteration-
 - (a) of a building not originally constructed for human habitation into a place for human habitation; or
 - (b) into more than one place for human habitation, of a building originally constructed as one such place; or
 - (c) of two or more places of human habitation, into a greater number of such places;
 - (iii) such alterations of a building as affect an alteration of its drainage or sanitary arrangements, or materially affect its security;
 - (iv) the addition of any rooms, buildings, houses or other structures to any building; and
 - (v) the construction, in a wall adjoining any street or land not belonging to the owner of the wall, of a door opening on to such street or land;
- (m) "zone" means any one of the divisions in which a development area may be divided for the purposes of development under this Act:
- (n) the expression "land" has the meaning assigned to it in section 3 of the Land Acquisition Act, 1894.

CHAPTER II

THE DEVELOPMENT AUTHORITY AND ITS OBJECTS

Declaration of development areas.

.

2.35

3. If in the opinion of the State Government any area within the State requires to be developed according to plan it may, by notification in the Gazette, declare the area to be a development area.

The Development Authority.

- (1) The State Government may, by notification in the Gazette, constitute for the purposes of this Act, an Authority to be called the Development Authority for any development area.
- (2) The Authority shall be a body corporate, by the name given to it in the said notification, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall by the said name sue and be sued.

- (8) The Authority in respect of a development area which includes the whole or any part of a city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, shall consist of the following members, namely-
 - (a) a Chairman to be appointed by the State Government;
 - (b) a Vice-Chairman to be appointed by the State Government;
 - (c) the Secretary to the State Government, incharge of the Department of Housing, ex-officio;
 - (d) the Secretary to the State Government, incharge of the Department of Finance, ex-officio;

(e) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, ex-officio;
(f) the Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Depart ment, Uttar Pradesh, ex officio; in fincio.

(g) the Mukhya Nagar Adhikari, ex-officio;

- (h) the District Magistrate of every district any part of which is included in the development area, ex-officio;
- (i) four members to be elected by Sabhasads of the Nagar Mahapalika for the said city from amongst themselves:

Provided that any such member shall cease to hold office as such as soon as he ceases to be Sabhasad of the Nagar Mahapalika.

- (j) such other members not exceeding three as may be nominated by the State Government.
- (4) The appointment of the Vice-Chairman shall be whole-time.
- (5) The Vice-Chairman shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.
- (6) A member referred to in clause (c), clause (d), clause (e) or clause (f) of sub-section (3) may instead of attending a meeting of the Authority himself depute an officer, not below the rank of Deputy Secretary in his department, in the case of a member referred to in clause (c) or clause (d), and not below the rank of Town Planner in the case of a member referred to in clause (e) and not below the rank of Superintending Egnineer in the case of a member referred to in clause (f), to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.
- (7) The Authority in respect of a development area other than that mentioned in sub-section (3) shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman and not less than five and not more than eleven such other members, including at least one member each from the Municipal Boards and Notified Area Committees having jurisdiction in the development area, who shall hold office for such period and on such terms and conditions, as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf:

Provided that the Vice-Chairman or a member other than an ex-officio member of the Authority may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office and on such resignation being accepted shall be deemed to have vacated his office.

- (8) No act or proceedings of the Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Authority.
- 5. (1) The State Government may appoint two suitable persons respectively as the Secretary and the chief accounts officer of the Authority who shall Authority exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Authority or its Vice-Chairman.

(2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Authority may appoint such number of otner officers and employees as may be necessary for the efficient of performance of its functions and may determine their designations and grades.

Staff

(3) The secretary, the chief accounts officer and other officers and employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of service as may be determined by regulations made in that behalf.

Advisory Council.

- 6. (1) The State Government may, if it thinks fit, constitute an advisory council for the purpose of advising the Authority on the preparation of the master plan and on such other matters relating to the planning of development or arising out of, or in connection with, the administration of this Act as may be referred to it by the Authority.
- (2) The advisory council in respect of a development area referred to in sub-section (3) of section 4 shall consist of the following members, namely—
 - (a) the Chairman of the Authority, ex-officio, who shall be the President;
 - (b) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, and the Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, Uttar Pradesh, ex-officio;
 - (c) the Director, Medical and Health Services, Uttar Pradesh, or his nominee who shall not be below the rank of a Deputy Director, exofficio;
 - (d) four representatives of the local authorities having jurisdiction within the limits of the development area, to be elected by their members from among themselves:
 - (e) the Transport Commissioner, Uttar Pradesh, or his nominee who shall not be below the rank of Deputy Transport Commissioner, exofficio;
 - (f) the Chairman, State Electricity Board, Uttar Pradesh or his nominee, ex-officio;
 - (g) all the members of the House of the People and the State Legislative Assembly whose constituencies include any part of the development area;
 - (h) all members of the Council of States and the State Legislative Council who have their residence in the development area;
 - (i) three members to be nominated by the State Government, one of whom shall represent the interest of labour and one the interest of industry and commerce in the development area.
- (3) For the purpose of clause (h) of sub-section (2), the place of residence of a member of the Council of States or the State Legislative Council shall be deemed to be that mentioned in the notification of his election or nomination, as the case may be, as such member.
- (4) An elected member under clause (d) of sub-section (2) shall hold office for a term of three years from the date of his election to the council and shall be eligible for re-election:

Provided that such term shall come to an end as soon as the member ceases to be a member of the local body from which he was elected.

- (5) The Advisory council, if any, in respect of a development area other than that mentioned in sub-section (2) shall consist of such members as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.
 - (6) The Council shall meet as and when called by the Chairman: Provided that such meeting shall be held at least twice a year.

Objects of the Authority.

7. The objects of the Authority shall be to promote and secure the development of the development area according to plan and for that purpose the Authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose of sewage and to provide and maintain other services and amenities and generally to do anything necessary or expedient for purposes of such development and for purposes incidental thereto:

Provided that save as provided in this Act nothing contained in this Act shall be construed as authorising the disregard by the Authority of any law for the time being in force.

CHAPTER III

MASTER PLAN AND ZONAL DEVELOPMENT PLANS

8. (1) The Authority shall, as soon as may be, prepare a master plan for the development area.

Civic survey of, and master plan for the development area.

- (2) The master plan shall-
 - (a) define the various zones into which the development area may be divided for the purposes of development and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out thereon of development or otherwise) and the stages by which any such development shall be carried out; and
 - (b) serve as a basic pattern of frame-work within which the zonal development plans of the various zones may be prepared.
- (3) The master plan may provide for any other matter which may be necessary for the proper development of the development area.
- 9. (1) Simultaneously with the preparation of the master plan or as soon as may be thereafter, the Authority shall proceed with the preparation of a zonal development plan for each of the zones into which the development area may be divided.

Zonal Development plans.

- (2) A zonal development plan may-
 - (a) contain a site-plan and use-plan for the development of the zone and show the approximate locations and extents of land uses proposed in the zone for such things as public buildings and other public works and utilities, roads, housing, recreation, industry, business, markets, schools, hospitals and public and private open spaces and other categories of public and private uses;
 - (b) specify the standards of population density and building density;
 - (c) show every area in the zone which may, in the opinion of the Authority, be required or declared for development or re-development; and
 - (d) in particular, contain provisions regarding all or any of the following matters, namely—
 - (i) the division of any site into plots for the erection of buildings;
 - (ii) the allotment or reservation of land for roads, open spaces, gardens, recreation-grounds, schools, markets and other public purposes;
 - (iii) the development of any area into a township or colony and the restrictions and conditions subject to which such development may be undertaken or carried out;
 - (iv) the erection of buildings on any site and the restrictions and conditions in regard to the open spaces to be maintained in or around buildings and height and character of buildings;
 - (v) the alignment of buildings of any site;
 - (vi) the architectural features of the elevation or frontage of any building to be erected on any site;
 - (vii) the number of residential buildings which may be erected on plot or site;
 - (viii) the amenities to be provided in relation to any site or buildings on such site whether before or after the erection of buildings and the person or authority by whom or at whose expense such amenities are to be provided;
 - (ix) the prohibitions or restrictions regarding erection of shops, workshops, warehouses or factories or buildings of a specified architectural feature or buildings designed for particular purposes in the locality;
 - (x) the maintenance of walls, fences, hedges or any other structural or architectural construction and the height at which they shall be maintained;

- (xi) the restrictions regarding the use of any site for purposes other than erection of buildings;
- (xii) any other matter which is necessary for the proper development of the zone or any area thereof according to plan and for preventing buildings being erected haphazardly in such zone or area.

plans ment approval.

- Submission of 10. (1) In this section and in sections 11, 12, 14 miles for a zone.

 Submission of the means the master plan as well as the zonal development plan for a zone. (1) In this section and in sections 11, 12, 14 and 16 the word "plan"
 - (2) Every plan shall, as soon as may be after its preparation be submitted. by the Authority to the State Government for approval and that Government may either approve the plan without modification or with such modifications as it may consider necessary or reject the plan with directions to the Authority to prepare a fresh plan according to such directions.

Procedure to be followed in the preparation and approval plan.

- (1) Before preparing any plan finally and submitting it to the State Government for approval, the Authority shall prepare a plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and manner as may be prescribed by regulations made in that behalf inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft plan before such date as may be specified in the notice.
- (2) The Authority shall also give reasonable opportunity to every local authority within whose local limits any land touched by the plan is situated, to make any representation with respect to the plan.
- (3) After considering all objections, suggestions and representations that may have been received by the Authority, the Authority shall finally prepare the plan and submit it to the State Government for its approval,
- (4) Subject to the foregoing provisions of this section, the State Government may direct the Authority to furnish such information as that Government may require for the purpose of approving any plan submitted to it under this section.

Date commencement of plan.

12. Immediately after a plan has been approved by the State Government, the Authority shall publish in such manner as the State Government may specify, a notice stating that a plan has been approved and naming a place where a copy of the plan may be inspected at all reasonable hours, and upon the date of the first publication of the aforesaid notice the plan shall come Chafrin III - A . als. 9 4/26 into operation. 12-A.

CHAPTER IV

AMENDMENT OF THE MASTER PLAN AND THE ZONAL DEVELOPMENT PLAN

Amendment of plans.

- 13. (1) The Authority may make any amendments in the master plan or the zonal development plan as it thinks fit, being amendments which, in its opinion do not effect important alterations in the character of the plan and which do not relate to the extent of land-uses or the standards of population density.
- (2) The State Government may make amendments in the master plan or the zonal development plan whether such amendments are of the nature specified in sub-section (1) or otherwise.
- (3) Before making any amendments in the plan, the Authority, or as the case may be, the State Government shall publish a notice in at least one newspaper having circulation in the development area inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed amendments before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by the Authority or the State Government.
- (4) Every amendment made under this section shall be published in such manner as the Authority or the State Government, as the case may be, may specify, and the amendments shall come into operation either on the date of the first publication or on such other date as the Authority or the State Government, as the case may be, may fix.
- (5) When the Authority makes any amendments in the plan under subsection (1) it shall report to the State Government the full particulars of

such amendments within thirty days of the date on which such amendments come into operation.

- (6) If any question arises whether the amendments proposed to be made by the Authority are amendments which effect important alterations in the character of the plan or whether they relate to the extent of land-uses or the standards of population density, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.
- (7) Any reference in any other Chapter, except Chapter III, to the master plan or the zonal development plan shall be construed as a reference to the master plan or the zonal development plan as amended under this section.

CHAPTER V

DEVELOPMENT OF LANDS

14. (1) After the declaration of any area as development area under section 3, no development of land shall be undertaken or carried out or continued in that area by any person or body (including a department of Government) unless permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act.

Development of land in the developed area.

- V. c

- Vice - Chairwan

- (2) After the coming into operation of any of the plans in any development area no development shall be undertaken or carried out or continued in that area unless such development is also in accordance with such plans.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the tollowing provisions shall apply in relation to development of land by any department of any State Government or the Central Government or any local authority—
 - (a) when any such department or local authority intends to carry out any development of land it shall inform the Authority in writing of its intention to do so, giving full particulars thereof, including any plans and documents, at least 30 days before undertaking such development;

(b) in the case of a department of any State Government or the Central Government, if the authority has no objections it should inform such department of the same within three weeks from the date of receipt by it under clause (a) of the department's intention, and if the authority does not make any objection within the said period the department shall be free to carry out the proposed development;

(c) where the Authority raises any objection to the proposed development on the ground that the development is not in conformity with any Master Plan or zonal development plan prepared or intended to be prepared by it, or on any other ground, such department or the local authority, as the case may be, shall—

(i) either make necessary modifications in the proposal for development to meet the objections raised by the Authority; or

(ii) submit the proposals for development together with the objections raised by the Authority to the State Government for decision under clause (d);

(d) the State Government, on receipt of proposals for development together with the objections of the Authority, may either approve the proposals with or without modifications or direct the department or the local authority, as the case may be, to make such modifications as proposed by the Government and the decision of the State Government shall be final;

- (e) the development of any land begun by any such department or subject to the provisions of section 59 by any such local authority before the declaration referred to in sub-section (1) may be completed by that department or local authority without compliance with the requirement of sub-sections (1) and (2).
- 15. (1) Every person or body (other than any department of Government or any local authority) desiring to obtain the permission referred to in section 14 shall make an application in writing to the Authority in such form and containing such particulars in respect of the development to which the application relates as may be prescribed by regulations Ly laws.

Application for permission.

- Vice - Chancer

V.C.

(2) Every application under sub-section (1) shall be accompanied by such see as may be prescribed by rules.

Vice-chairman

(3) On the receipt of an application for permission under sub-section (1), the Authority after making such inquiry as it considers necessary in relation to any matter specified in clause (d) of sub-section (2) of section 9 or in relation to any other matter, shall, by order in writing, either grant the permission, subject to such conditions, if any, as may be, specified in the order or refuse to grant such permission:

Provided that before making an order refusing such permission, the applicant shall be given a reasonable opportunity to show cause why the permission should not be refused:

Provided further that the Authority may before passing any order on such application give an opportunity to the applicant to make any correction therein or to supply any further particulars or documents or to make good any deficiency in the requisite fee with a view to bringing it into conformity with the relevant rules or regulations.

- (4) Where permission is refused, the grounds of such refusal shall be recorded in writing and communicated to the applicant.
- (5) Any person aggrieved by an order under sub-section (4) may appeal to the Tribunal against that order within thirty days from the communication thereof and the Tribunal may after giving an opportunity of hearing to the appellant and, if necessary, also to the representative of the Authority, either dismiss the appeal or direct the Authority to grant the permission applied for with such modifications, or subject to such conduions, if any, as may be specified.
- (6) The Authority shall keep in such form as may be prescribed by regulations a register of applications for permission under this section.
- (7) The said register shall contain such particulars, including information as to the manner in which applications for permission have been dealt with, as may be prescribed by regulations, and shall be available for inspection by any member of the public at all reasonable hours on payment of such fee not exceeding rupees five as may be prescribed by regulations.
- (8) Where permission is refused under this section, the applicant or any person claiming through him shall not be entitled to get refund of the fee paid on the application for permission but the Authority may, on an application for refund being made within three months of the communication of the grounds of the refusal under sub-section (4) direct refund of such portion of the fee as it may deem proper in the circumstances of the case.

Uses of land and buildings in contravention of plans. 16. After the coming into operation of any of the plans in a zone no person shall use or permit to be used any land or building in that zone otherwise than in conformity with such plan:

Provided that it shall be lawful to continue to use, upon such terms and conditions as may be prescribed by bye-laws made in that behalf, any land or building for the purpose and to the extent for and to which it is being used upon the date on which such plan comes into force.

CHAPTER VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

Compulsory acquisition of land.

17. (1) If in the opinion of the State Government, any land is required of for the purpose of development, or for any other purpose, under this Act the State Government may acquire such land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894:

Provided that any person from whom any land is so acquired may after the expiration of a period of five years from the date of such acquisition apply to the State Government for restoration of that land to him on the ground that the land has not been utilized within the period for the purpose for which it was acquired, and if the State Government is satisfied to that effect it shall order restoration of the land to him on re-payment of the charges which were incurred in connection with the acquisition together with interest at the rate of twelve per cent per annum and such development charges if any as may have been incurred after acquisition.

(2) Where any land has been acquired by the State Government, that Government may, after it has taken possession of the land transfer the land to the Authority or any local authority for the purpose for which the land has

chairman

been acquired on payment by Authority or the local Authority of the compensation awarded under that Act and of the charges incurred by the Government in connection with the acquisition.

18. (1) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the Authority or, as the case may be, the local Authority concerned may dispose of—

Disposal of land by the Authority or the local Authority concerned.

(a) any land acquired by the State Government and transferred to it, without undertaking or carrying out any development thereon; or

(b) any such land after undertaking or carrying out such development as it thinks fit,

to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it considers expedient for securing the development of the development area according to plan.

(2) Nothing in this Act shall be construed as enabling the Authority or the local Authority concerned to dispose of land by way of gift, mortgage or charge, but subject thereto, references in this Act, to the disposal of land shall be construed as references to the disposal thereof in any manner, whether by way of sale, exchange or lease or by the creation of any easement, wieth or privilege or otherwise.

whether by way of said with the contained in the Gazette and "(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the charge over such land (including any building thereon) in the State favour of the Life Insurance Corporation of India, the Housing and in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, special order in this behalf by the State Government."

Nazul lands.

or carried out except by the State Government."

(3) After any such nazul land has been developed by or under the control and supervision of the Authority it shall be dealt with by the Authority in accordance with directions given by the State Government in that behalf.

(4) If any nazul land placed at the disposal of the Authority under sub-section (1) is required at any time thereafter by the State Government, the Authority shall, by notification in the Gazette, replace it at the disposal of that Government upon such terms and conditions as may be agreed upon between that Government and the Authority.

CHAPTER VII Finance, Accounts and Audit

20. (1) The Authority shall have and maintain its own fund to which shall be credited—

Fund of the Authority.

Sul. of cu 27

48/76

(a) all moneys received by the Authority from the State Government by way of grants, loans, advances or otherwise;

(b) all moneys borrowed by the Authority from sources other than the State Government by way of loans or debentures;

(c) all fees and charges received by the Authority under this Act;

(d) all moneys received by the Authority from the disposal of lands, buildings and other properties movable and immovable; and

(c) all moneys received by the Authority by way of rents and profits or in any other manner or from any other source.

(2) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Authority in the administration of this Act and for no other purposes.

(3) Subject to any directions of the State Government, the Authority may keep in current account of any Scheduled Bank such sum of money out of its fund as it may think necessary for meeting its expected current requirements and invest any surplus money in such manner as it thinks fit.

(4) The State Government may, after due appropriation made by Legislature by law in that behalf, make such grants, advances and loans to the Authority as that Government may deem necessary for the performance of the functions of the Authority under this Act, and all grants, loans and advances made shall be on such terms and conditions as the State Government may determine.

- (5) The Authority may borrow money by way of loans or debentures from such sources (other than the State Government) and on such terms and conditions as may be approved by the State Government.
- (6) The Authority shall maintain a sinking fund for the repayment of moneys borrowed under sub-section (5), and shall pay every year into the sinking fund such sum as may be sufficient for repayment within the period fixed of all moneys so borrowed.
- (7) The sinking fund or any part thereof shall be applied in, or towards, the discharge of the loan for which such fund was created, and until such loan is wholly discharged it shall not be applied for any other purpose.

Budget of the Authority.

21. The Authority shall prepare in such form and at such time every year as the State Government may specify, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority.

Accounts and Audit.

- 22. (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance-sheet in such form as the State Government may specify.
- (2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Examiner Local Fund Accounts, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Examiner Local Fund Accounts.
- (3) The Examiner Local Fund Accounts and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Examiner Local Fund Accounts has in connection with the audit of the accounts of a local authority and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.
- (4) The accounts of the Authority as certified by the Examiner Local Fund Accounts or any other person appointed by him in that behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.

Annual Report.

23. The Authority shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the Legislature.

Pinston and Provident Funds.

- 24. (1) The Authority may constitute for the benefit of its whole-time paid members and of its officers and other employees in such manner and subject to such conditions, as the State Government may specify, such pension or provident funds as it may deem fit.
- (2) Where any such pension or provident fund has been constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925, shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

CHAPTER VIII

SUPPLEMENTAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

Power c

١

- 25. The Vice-Chairman of the Authority may authorise any person to enter into or upon any land or building with or without assistants or workmen for the purpose of—
 - (a) making any inquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building;
 - (b) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;
 - (c) digging or boring into the sub-soil;
 - (d) setting out boundaries and intended lines of work;
 - (e) making such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches;
 - (f) ascertaining whether any land is being or has been developed in contravention of the master plan or zonal development plan or without the permission referred to in section 14 or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted; or

(g) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that-

(i) no such entry shall be made except between the hours of sun-rise and sun-set and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or buildings;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable woman, if any, to withdraw from such land or building;

- (iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.
- 26. (1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person or any body (including a department of Government) undertakes or carries out development of any land in contravention of the master plan or zonal development plan or without the permission, approval or sanction referred to in section 14 or in contravention of any condition subject to which such permission, approval or sanction has been granted, shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees, and in the case of a continuing offence, with further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.
- (2) Any person who uses any land or building in contravention of the provisions of section 16 or in contravention of any terms and conditions prescribed by regulations under the proviso to that section shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with further fine which may extend to two hundred and fifty rupee for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.
- (3) Any person who obstructs the entry of a person authorised under section 25 to enter into or upon any land or building or molests such person after such entry shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(1) Where any development has been commenced or is being carried on or has been completed in contravention of the master plan or zonal development plan or without the permission, approval or sanction referred to in section 14 or in contravention of any conditions subject to which such permission, approval or sanction has been granted, in relation to the development area, then without prejudice to the provisions of section 26, any officer of the Authority empowered by the Vice hairman in that behalf, may make an order directing that such development shall be removed by demolition, filling or otherwise by the owner thereof or by the person at whose instance the development has been commenced or is being carried out or has been completed, within such period not being less than fifteen days and more than forty days from the date on which a copy of the order of removal, with a brief statement of the reasons therefor, has been delivered to the owner or that person as may be specified in the order and on his failure to comply with the order, the officer of the Authority may remove or cause to be removed the development, and the expenses of such removal as certified by the faid officer of the Authority shall be recoverable from the owner or the person at whose instance the development was commenced or was being carried out or was completed as arrears of land revenue and no suit shall lie in the Civil Court for recovery of such expenses:

Provided that no such order shall be made unless the owner or the person concerned has been given a reasonable opportunity to show cause why the order should not be made.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to the Fribunal against that order within thirty days from the date thereof and the Fribunal may after hearing the parties to the appeal either allow or dismiss the appeal or may reverse or vary any part of the order.

(3) The Fribunal may stay the execution of an order against which an appeal has been filed before it under sub-section (2).

(4) The decision of the Fribunal on the appeal and, subject only to such decision, the order under sub-section (1), shall be final and shall not be questioned in any court.

Penalties.

Order of demolition of building.

- The vice-chairm

ve ar such.

(5) The provisions of this section shall be in addition to, and not in derogation of, any other provision relating to demolition of buildings contained in any other law for the time being in force.

tained in any other law for the time being in force.

Explanation—In this section, the term "Aribunal" means the Tribunal—appointed under section 87

appointed under section 87.

Power to stop development.

28. (1) Where any development in a development area has been commenced or continued in contravention of the master plan or zonal development plan or without the permission, approval or sanction referred to in section 14 or in contravention of any conditions subject to which such permission, approval or sanction has been granted then, without prejudice to the provisions of sections 26 and 27, the Vice-Chairman of the Authority or any officer of the Authority empowered by him in that behalf, may make an order requiring the development to be discontinued on and from the date of the service of the order, and such order shall be complied with accordingly.

(2) Where such development is not discontinued in pursuance of the order under sub-section (1), the Vice-Chairman or the said officer of the Authority may require any police officer to remove the person by whom the development has been commenced and all his assistants and workmen from the place of development within such time as may be specified in the requisition,

and such police officer shall comply with the requisition accordingly.

- (3) After the requisition under sub-section (2) has been complied with, the Vice-Chairman of the Authority may depute by a written order a police officer or an officer or employee of the Authority to watch the place in order to ensure that the development is not continued.
- (4) Any person failing to comply with an order under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the non-compliance continues after the service of the order.
- (5) No compensation shall be claimable by any person for any damage which he may sustain in consequence of the removal of any development under section 27 or the discontinuance of the development under this section.
- (6) The provisions of this section shall be in addition to and not in derogation of, any other provision relating to stoppage of building operations contained in any other law for the time being in force.

Conferment of other powers on the Authority.

29. After a master plan or zonal development plan has come into operation under section 12, the Development Authority or its Vice-Chairman shall have such other powers and functions exercisable by the local authority concerned or its Chief Executive Officer, as the case may be, under the enactment constituting that local authority, subject, to such exceptions or modifications, as the State Government may by notification in the Gazette specify.

Offences companies.

30. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person, who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the oftence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance, of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

- (a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
 - (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.
- when o be be paid to the Authority.

realised to be paid to the Authority.

Composition of

32. (1) Any offence made punishable by or under this Act may either before or after the institution of proceedings, be compounded by the

Authority (or any officer authorised by it in that behalf by general or special order), on such terms, including any term as regards payment of a composihon fee, as the Authority (or such officer) may think fit.

- (2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, sail be discharged and no further proceedings shall be taken against him, in respect of the offence compounded.
- 33. (1) If the Authority, after holding a local inquiry or upon report from any of its officers or other information in its possession, is satisfied that any amenity in relation to any land in a development area has not been prowided in relation to that land which, in the opinion of the Authority, ought to have been or ought to be provided, or that any development of the land for which permission, approval or sanction had been obtained under this Act of under any law in force before the coming into force of this Act has not to levy cess in the carried out, it may, after affording the owner of the land or the person providing or responsible for providing the amenity a reasonable opporfunity to show cause, by order require him to provide the amenity or carry out the development within such time as may be specified in the order.

(2) If any amenity is not provided or any such development is not carried out within the time specified in the order, then the Authority may itself provide the amenity or carry out the development or have it provided or carried out through such agency as it deems fit:

Provided that before taking any action under this sub-section, the Authority shall afford a reasonable opportunity to the owner of the land or to the person providing or responsible for providing the amenity to show cause as to why such action should not be taken.

- (3) All expenses incurred by the Authority or the agency employed by it in providing the amenity or carrying out the development together with interest at such rate as the State Government may by order fix from the date when a demand for the expenses is made until payment may be recovered by the Authority from the owner or the person providing or responsible for providing the amenity as arrears of land revenue, and no suit shall lie in the Civil Court for recovery of such expenses.
- (4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections where the Authority on the written representation by so many of the owners If any land in a development area as represent not less than one-half of the firea of that land, is satisfied that any amenity in relation to such land has fiot been provided which in the opinion of the Authority ought to have been or ought to be provided, or that any development of that land for which permission, approval or sanction had been obtained under this Act or under any law in force before the promulgation of this Act has not been carried out, it may itself provide the amenity or carry out the development or have it provided or carried out through such agency as it deems fit, and recover the expenses by levy of cess from all the owners of the said land:

Provided that if the owners making the said representation contend that the amenity had been agreed to be provided or the development had been agreed to be carried out by a coloniser or co-operative housing society through or from whom the land was acquired by them, they shall file with the Authority a copy of such agreement, or of the deed of transfer or of the bye-laws of the society incorporating such agreement, and no action shall be taken by the Authority under this sub-section unless notice has been given to the coloniser for the society, as the case may be, to show cause why such action should not be taken:

Provided further that where the Authority is satisfied that the coloniser or the society has become defunct or is not traceable, no notice under the last preceding proviso need be issued.

- (5) The cess referred to in sub-section (4) shall be equivalent to the expenses incurred by the Authority or the sgency employed by it in providing the amenity or carrying out the development, together with interest at such rate as the State Government may by order fix, from the date of completion of the work until payment, and shall be assessed and levied on all the owners of the land in proportion to the respective areas of the portions of land owned by
- (6) The said cess shall be payable in such number of instalments, and each instalment shall be payable at such time and in such manner, as the

Power of the provide amenity development at cost of owner in the event of

Authority may fix, and any arrear of cess shall be recoverable as arrears of land revenue, and no suit shall lie in the civil court for recovery thereof.

- (7) The expenses incurred by the Authority or the agency employed by it under this section shall be certified by the Authority, and such certificate, as also the assessment of the cess, if any, under sub-section (5) shall be final.
- (8) If under any agreement between the owners of the land and the coloniser or the society referred to in sub-section (4) the responsibility for providing the amenity or carrying out the development rested with such coloniser or society, the cess payable under that sub-section by the owners shall be recoverable by them from the coloniser or the society, as the case may be.

Power of Authosity to require local autho-fity to assume responsibilities in certain cases. 34. Where any area has been developed by the Authority, the Authority may require the local authority within whose local limits the area so developed is situated, to assume responsibility for the maintenance of the amenities which have been provided in the area by the Authority and for the provision of the amenities which have not been provided by the Authority but which in its opinion should be provided in the area, on terms and conditions agreed upon between the Authority and that local authority; and where such terms and conditions cannot be agreed upon, then on a reference of the matter to the State Government by the Authority, on terms and conditions settled by that Government in consultation with the local authority.

Power of Authority to levy betterment charges.

35. (1) Where, in the opinion of the Authority, as a consequence of any development scheme having been executed by the Authority in any development area, the value of any property in that area which has been benefited by the development, has increased or will increase, the Authority shall be entitled to levy upon the owner of the property or any person having an interest therein a betterment charge in respect of the increase in value of the property resulting from the execution of the development:

Provided that no betterment charge shall be levied in respect of lands owned by Government:

Provided further that where any land belonging to Government has been granted by way of lease or licence by Government to any person, then that land and any building situate thereon shall be subject to a betterment charge under this section.

- (2) Such betterment charge shall be an amount—
 - (i) in respect of any property situate in the township or colony, if any, developed or in other area developed or redeveloped, equal to one-third of the amount, and
 - (ii) in respect of property situated outside such township, colony or other area, as aforesaid, not exceeding one-third of the amount,

by which the value of the property on the completion of the execution of the development scheme, estimated as if the property were clear of buildings, exceeds the value of the property prior to such execution, estimated in like manner.

Assessment of betterment charge by Authority.

- 36. (1) When it appears to the Authority that any particular development scheme is sufficiently advanced to enable the amount of the betterment charge to be determined, the Authority may, by an order made in that behalf, declare that for the purpose of determining the betterment charge the execution of the scheme shall be deemed to have been completed and shall there upon give notice in writing to the owner of the property or any person having an interest therein that the Authority proposes to assess the amount of the betterment charge in respect of the property under section 34.
 - (2) The Authority shall then assess the amount of betterment charge payable by the person concerned after giving such person an opportunity to be heard and such person shall, within three months from the date of receipt of the notice in writing of such assessment from the Authority, inform the Authority by a declaration in writing that he accepts the assessment or dissents from it.
 - (3) When the assessment proposed by the Authority is accepted by the person concerned within the period specified in sub-section (2) such assessment shall be final.
 - (4) If the person concerned dissents from the assessment or fails to give the Authority the information required by sub-section (2) within the period specified therein the matter shall be determined by the Tribunal under section 37. Chairman and hick detarmined there and his

questioned in any court.

37. (1) For the determination of the matters referred to in sub-section (4) of section 15. in sub-sections (2) and (3) of section 27 and in sub-section (4) 6. In section 37 of the principal A. Warning at Tribunal consisting of a

6. In section 37 of the principal Act, for the words "Every decision", be substituted.

19176

such procedure as it may think fit.

(3) The Tribunal shall, for the purpose of determining any matter referred to them have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters, namely—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and

examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) administering to any party to the proceeding such interrogatories as may, in the opinion of the Tribunal be necessary;

(d) such other matters as may be prescribed by rules made in that behalf.

- (4) The Tribunal shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of section 480 of the Code of Criminal Procedure, 1898, and any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- (5) The Civil Judicial Officer appointed as Tribunal shall be paid such remuneration as the State Government may by general or special order determine.
- (6) The expenses of the Tribunal, including the remuneration payable to the Civil Judicial Officer appointed as such and to its staff, shall be paid out of the fund of the Authority.
- (7) The decision of the Tribunal shall be final and shall not be questioned in any court.
- 38. (1) The betterment charge levied under this Act shall be payable in such number of instalments, and each instalment shall be payable at such time and in such manner, as may be fixed by bye-laws made in that behalf.
- (2) Any arrear of betterment charge shall be recoverable as an arrear of land revenue, and no suit shall lie in the civil court for recovery of such arrear
- 39. (1) The duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899, on any dead of transfer of immovable property shall, in the case of an immovable property situated within a development area, be increased by two per cent on the amount or value of the consideration with reference to which the duty is calculated under the said Act:

Provided that the State Government may, by notification in the Gazette, enhance, the aforementioned percentage of the increase in Stamp duty up to five

- (2) All collections resulting from the said increase shall, after deduction of incidental expenses, if any, be allocated and paid by the State Government, in its discretion, either to the Development Authority alone or to the Development Authority, the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad and the Nagar Mahapalika or the Municipal Board, as the case may be, in such proportion as may from time to time be determined, in such manner and in accordance with such principles as the State Government may by notification in the Gazette specify.
- (3) For purposes of this section, section 27 of the Indian Stamp Act. 1899, shall be read as if it specifically required the particulars referred to therein to be separately set forth in respect of property within the development area and property situated outside such area.

(4) For the purposes of this section, section 64 of the Indian Stamp Act, 1899, shall be so read and construed as if it referred to the Development Authority as well as to the State Government.

(5) The provisions of clause (g) of sub-section (2) of section 172 and section 191 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and of clause (xiii-B), of section 128—and-section 128-A of the U. P. Municipalities Act. 1916 and section 62 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam. 1965 shall, to the extent of any repugnancy with the provisions of this section, cease to have effect, and the professions of this section shall prevail

Settlement of betterment charge by Tribunal.

ent. 9 see 11 g 13 / 75 2 me. 9 see (gr 19/16

Payment of betterment charge.

Additional Stamp duty on certain transfers of property.

section shall be : United Provinces General 3. After section 39 of the principal Act, the following inserted, namely:er as they apply in relation

"39-A. The Authority shall be entitled to charge and collect, toll, for the use of approach roads and other amenities, at le to it on account of fees Toll for amesuch rate and in such manner as may be notified by or other properties, movthe State Government, from visitors, to such places of popular resort ay, if the recovery thereof (including any ancient and historical monuments) within its develop- of this Act, be recovered ment area as may be so notified:

suit shall lie in the civil

Provided that-

(a) the rate of toll per visitor, shall not exceed rupees two;

rections as may be issued r the efficient administra-

(b) the State Government may by notification, exempt any class or classes of visitors from the payment of the toll and may fix any day or days on which no toll shall be chargeable." the Authority and the State Government the decision of the State Govern-

its powers and discharge any dispute arises between

ment on such dispute shall be final.

(3) The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by the Authority for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit:

Provided that the State Government shall not pass an order prejudicial to any person without amount nable opportunity of being

"(4) Every order of the State Government made in exercise of the powers conferred by this Act shall be final and shall not be he State Government such called in question in any court." amer information as that Government may from time to ome require.

- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government or any officer authorised by the State Government in that behalf, may call for reports, returns and other information from the Authority or the local authority concerned in regard to the implementation of the master plan.
- (3) Any person authorised by the State Government or the officer referred to in sub-section (2) may enter into or upon any land with or without assistants or workmen for ascertaining whether the provisions of the master plan are being or have been implemented, or whether the development is being or has been carried out in accordance with such plan.
- (4) No such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building.

Service notices, etc.

(1) All notices, orders and other documents required by this Act or any rule or regulation made thereunder to be served upon any person shall save as otherwise provided in this Act or such rule or regulation be deemed to be duly served-

(a) where the person to be served is a company, if the document is addressed to the secretary of the company at its registered office or at its

principal office or place of business and is either-

(i) sent by registered post, or

- (ii) delivered at the registered office or at the principal office or place of business of the company; "
- (b) where the person to be served is a firm, if the document is addressed to the firm at its principal place of business, identifying it by the name or style under which its business is carried on, and is either-

(i) sent by registered post, or

(ii) delivered at the said place of business:

(c) where the person to be served is a public body or a corporation or society or other body, if the document is addressed to the secretary, treasurer or other chief officer of that body, corporation or society at its principal office, and is either-

(i) sent by registered post, or (ii) delivered at that office;

- (d) in any other case, if the document is addressed to the person to be served and—
 - (i) is given or tendered to him, or

- (ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business, if within the development area or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or
 - (iii) is sent by registered post to that person.
- (2) Any document which is required or authorised to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" or "the occupier", as the case may be, of that land or building (naming that land or building) without further name or description, and shall be deemed to be duly served-
 - (a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of sub-section (1); or
 - (b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed, is delivered to some person on the land or building or, where there is no person on the land or building to whom it can be delivered, is affixed to some conspicuous part of the land or building.
- (3) Where a document is served on a firm in accordance with clause (b) of sub-section (1), the document shall be deemed to be served on each partner of that firm.
- (4) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any property the secretary to the Authority may by notice in writing require the occupier (if any) of the property to state the name and address of the owner thereof.
- (5) Where the person on whom a document is to be served is a minor, the service upon his guardian or any adult member of his family be deemed to be service upon the minor.
- (6) A servant is not a member of the family within the meaning of this section.
- 44. Every public notice given under this Act shall be in writing over the signature of the secretary to the Authority and shall be widely made known in the locality to be affected thereby by affixing copies thereof in conspicuous public places within the said locality, or by publishing the same by beat of drum or by advertisement in a newspaper having circulation in the locality or by any two or more of these means, and by any other means that the secretary may think fit.

Public notice how to be made known.

45. Where any notice, order or other document issued or made under this Act or any rule or regulation made thereunder requires anything to be done for the doing of which no time is fixed in this Act or the rule or regulation, the notice, order or other document shall specify a reasonable time for doing the same.

Notices, etc., to fix reasonable time.

46. All permissions, orders, decisions, notices and other documents of the Authority shall be authenticated by the signature of the secretary to the Authority or any other officer authorised by the Authority in that behalf.

Authentlentlon of orders and documents Authority.

47. Every member and every officer and other employee of the Authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the officers to be Indian Penal Code.

Members and public servants.

48. No court inferior to that of a magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act.

Jurisdiction of courts,

49. No prosecution for any offence punishable under this Act shall Sanction be instituted except with the previous sanction of the Vice-Chairman of the prosecution. Authority or any officer authorised by him in that behalf.

50. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or regulation made thereunder.

Protection taken action In good faith,

Power to de legate.

- 51. (1) The State Government may by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make rules, may also be exercised by such officer in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.
- (2) The Authority may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make regulations or bye-laws, may also be exercised by such officer or local authority, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.
- (3) The Vice-Chairman of the Authority may by general or special order direct that any power exercisable by him under this Act may also be exercised by such other officer of the Authority in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

Savings.

- 52. Nothing in this Act shall apply to-
 - (a) the carrying out of works for the maintenance, improvement or other alterations of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance of the building;
 - (b) the carrying out by any local authority or by any department of Government of any works for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cables or other apparatus including the breaking open of any street or other land for that purpose;
 - (c) the operational construction, (including maintenance, development and new construction) by or on behalf of a department of the Central Government;
 - (d) the erection of a building, not being a dwelling house, if such building is required for the purposes subservient to agriculture;
 - (e) the excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations; and
 - (f) the construction of unmetalled road intended to give access to land solely for agricultural purposes.

Exemption.

53. Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may by notification in the Gazette exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in such notification any land or building or class of lands or buildings from all or any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

Plans to stand modified in certain cases.

- 54. (1) Where any land situated in a development area is required by the master plan or a zonal development plan to be kept as an open space or unbuilt upon or is designated in any such plan as subject to compulsory acquisition, then, if at the expiration of ten years from the date of coming into operation of the plan under section 12 or where such land has been so required or designated by any amendment of such plan, from the date of coming into operation of such amendment, under sub-section (4) of section 13, the land is not compulsorily acquired the owner of the land may serve on the State Government a notice requiring his interest in the land to be so acquired.
- (2) If the State Government fails to acquire such land within a period of six months from the date of receipt of the notice, the master plan or, as the case may be, the zonal development plan shall have effect, after the expiration of the said six months, as if that land were not required to be kept as an open space or unbuilt upon or were not designated as subject to compulsory acquisition.

Power to

- 55. (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters,

(a) the fice to be paid on an application for permission under subsection (5) of section 15 and the factors and circumstances to be taken into consideration in determining such fee; or when he (2) } fee 27

(b) the procedure to be followed by the Aribumal in the determination of betterment charge, and the powers that it shall have for that purpose;

(a) any other matter which has to be, or may be, prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act'shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, extending in its one

chairman.

session or more than one successive session, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(1) An Authority may, with the previous approval of the State Power to make Government, make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Authority.

-) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely-
 - (a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum thereat;
 - (b) the powers and duties of the Secretary and Chief Accounts Officer of the Authority;
 - (c) the salaries, allowances and conditions of service of the Secretary, Chief Accounts Officer and other officers and employees;
 - (d) the procedure for carrying out the functions of the Authority under Chapters III and IV:
 - (e) the form of register of application for permission and the particulars to be contained in such register;

(8) Until an Authority is established for an area under this Act any

regulation which may be made under sub-section (1) may be made by the State Government, and any regulation so made may be altered or rescinded by the Authority concerned in exercise of its powers under sub-section (1).

57. The Authority may, with the previous approval of the State Government, make bye-laws consistent with this Act, and the rules made there-ment, make bye-laws consistent with this Act, and the rules made thereaffecting the general public, and without prejudice to the generality of this power, such bye-laws may provide for-

Power to make

- (a) the form in which any application for permission under subsection (1) of section 15 shall be made and the particulars to be furnished in such application;
- (b) the terms and conditions referred to in section 16, subject to which the user of lands and buildings in contravention of plans may be

confinued; (c) the time and manner of payment of betterment charge under the definition of an arterial road and the colour scheme and 57 19 76 our specifications according to which the facade of buildings abutting uposes for ma road shall be repaired white-washed, colour-washed or painted cen substantial.

ority in the mer section 12-A;" opinion of the State Government unnecessary, man covernment may by notifi-

Dissolution

cation in the Gazette declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date— (a) all properties, funds and dues which are vested in, or realisable by, the Authority shall vest in, or be realisable by, the State Government;

(b) all nazul lands placed at the disposal of the Authority shall revert to the State Government;

(c) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and

(d) for the purpose of carrying out any development which has not been fully carried out by the Authority and for the purpose of realising properties, funds and dues referred to in clause (a) the functions of the Authority shall be discharged by the State Government.

(1) (a) The operation of clause (c) of section 5, sections 54, 55 and 56. clause (xxxiii) of section 114, sub-section (3) of section 117, clause (c) of Savings. sub-section (1) of section 119, section 191, sections 316, 317, 318, 319, 320, 321,

Repeal etc. and

322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 and 333, clauses (a) and (b) of subsection (1) of section 334, sections 335, 336, Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, sections 178, 179, 180, 180-A, 181, 182, 183. 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 and 222 United Provinces Municipalities Act, 1916 (or the said sections as extended under section 338 thereof or under section 38 of the United Provinces Town Areas Act, 1914), or as the case may be, of sections 162 to 171 of the Uttar Pra-

In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974,-

(a) in sub-section (1), in clause (a),-

i) for the brackets and words "(except in relation to those housing and improvement schemes which have been notified under section 32 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, before the declaration of the area comprised therein as development area, hereinafter in this section referred to as continuing Avas Parishad Schemes)" the following shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely :-

(except in relation to those housing or improvement schemes which have either been notified under section 32 of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 before the declaration of the area comprised therein as development area or which having been notified under section 28 of the said Adhiniyam before the said declarations are thereafter approved by the State Government for continuance under the said Adhiniyam or which are initiated after such declaration with the ie Vice-Chairman approval of the State Government, hereinafter in this section referred to as Special Avas Parishad Schemes)";

(ii) for the words "and for the purpose of continuance of proceedings under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the powers of the prescribed authority and the controlling authority under that Act shall vest respectively in the Vice-Chairman and the Chairman" the following words shall substituted and be deemed always to have been substituted, namely—

"and the powers, for doing anything which could, but for such suspension of the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, be done by the prescribed authority and controlling authority and which can, after such suspension be done by virtue of the application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall vest in the Vice-Chairman and the Chairman respectively";

n, 1961 and of the Uttar 958 and the Uttar Pradesh in relation to such housing kommenced before June 12, ex by notification in this referred as "continuing development area remain of the Uttar Pradesh it as if the requirement as nded with effect from the nd until the dissolution of : United Provinces General ispension as if the suspenis Ordinance, and in partind and interest in land ending immediately before ity may be continued and

ce of proceedings under the g Operations)' Act, 1958, the he controlling authority under and the

of these provisions of this 13125

t Trust constituted under is in existence is declared Act as well as the Uttar) Act, 1961, if applicable, he date of the constitution Improvement Trust shall

a Development Authority whole of a city as defined 1959, every officer and ervices constituted under , 1966, hereinafter in this

.... July war under the Nagar Maha- pulika of that city exclusively in connection with its activities under Chapter XIX of the said Adhiniyam immediately before the date of the constitution of the Development Authority, shall on and from such date be transferred to and become an officer and other employee of the Development Authority with such designations as the Authority may determine and shall hold office by the same tenure, at the same remoneration and on the same terms and conditions of service as he would have held the same if the Authority had not been constituted, and shall continue to do so unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Authority:

Provided that any service rendered under the Nagar Mahapalika by any such officer or other employee before the constitution of the Authority shall be deemed to be service renderd under the Authority:

Provided further that the Authority may employ any such officer or other employee in the discharge of such functions under this Act as it may think proper, and every such officer or other employee shall discharge those functions accordingly.

(4) On and from the date of the constitution of a Development Authority in relation to a development area which includes the whole of a city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, every member of centralised service serving under the Nagar Mahapalika of that city

m. 9 cm 15

cclusively in connection with its activities under Chapter XIV of the said dhiniyam immediately before the date of constitution of the Development uthority, shall on and from such date be transferred to the Development uthority with such designations as the State Government may determine ad shall in all the respects continue to be member of such centralised rvice and be subject to the same terms and conditions of service including the condition of transferability) as he would have held the same his services had not been so transferred to the Authority.

(5) Every officer and other employee serving under an Improvement Trust eferred to in sub-section (2) immediately before the date of the constitution f the Development Authority shall, on and from such date, be transferred to nd become an officer or other employee of the Development Authority with such esignations as the Authority may determine and shall hold office by the same enure, at the same remuneration and on the same terms and conditions f service as he would have held the same if the Authority had not been onstituted, and shall continue to do so unless and until such tenure, remuneraon and terms and conditions are duly altered by the Authority:

Provided that any service rendered under the Trust by any such officer r other employee before the constitution of the Authority shall be deemed be service rendered under the Authority:

Provided further that the Authority may employ any such officer or other. mployee in the discharge of such functions under this Act as it may think roper, and every such officer or other employee shall discharge those unctions accordingly.

- (6) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) and (2),-
- (a) anything done or any action taken (including any notification issued or order or scheme made or permission granted) under any of the enactments referred to in sub-sections (1) and (2) shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act continue in force and be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act unless and until it is superseded by anything done or any action taken under the provisions of this Act;
- (b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for any local authority constituted under any enactment referred to in sub-sections (1) and (2) in relation exclusively to the performance of functions assigned to the Development Authority by this Act shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged to be done by, with or for the Development Authority concerned;
- (c) all properties, movable and immovable, vested in an Improvement Trust referred to in sub-section (2) shall vest in the Development Authority concerned, and all properties movable and immovable, vested in any other local authority referred to in sub-section (1) in relation exclusively to the performance of functions assigned to the development Authority by this Act shall vest in the Development Authority concerned:

- · (d) all rents, fees and other sums of money due to an Improvement Trust referred to in sub-section (2) or in relation exclusively to the performance of functions assigned to the Development Authority by this Act shall be deemed to be due to the Development Authority concerned;
- (e) all suits, prosecutions and other legal proceedings instituted or which might have been instituted by, for or against the local authority of the local autho performance of functions assigned to the Development Authority by this Act may be continued or instituted by, for or against the Development Authority.

Explanation-For the purposes of this sub-section, the Development Fund referred to in sub-section (3) of section 189 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and all properties created out of that fund, and all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the Mahapalika (f) and how is 15 13 75

in relation to such properties or in relation to the functions specified in Chapter XIV of the said Adhiniyam, shall be deemed to relate to the performance of functions assigned to the Development Authority by this Act and clauses (a), (b), (c), (d) and (e) shall apply accordingly.

- (7) If any dispute arises between any Local Authority or a Development Authority whether for purposes of clauses (b), (c) and (d) of subsection (6) any debt, obligation or liability was incurred or any contract was entered into or anything was engaged to be done by, with or for any local authority, or any property vested in any local authority, or any rent, fee or other sum was due to any local authority, in relation exclusively to the performance of functions assigned by this Act to the Development Authority it shall be referred to the State Government whose decision shall be final and shall not be questioned in any court.
- (8) If any question arises whether for the purpose of sub-section (3) any officer or other employee of the Nagar Mahapalika concerned was immediately before the date of constitution of the Development Authority employed exclusively in connection with the performance of functions under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, in the area for which the Development Authority is constituted it shall be referred to the State Government, whose decision shall be final and shall not be questioned in any court.
- (9) Nothing in sub-sections (3) and (5) shall apply to an officer or other employee of a Nagar Mahapalika or an Improvement Trust, as the case may be, who within one month from the date of the constitution of the Development Authority concerned intimates the Mahapalika, or Trust of his option not to become an employee of the Development Authority, and on receipt of such intimation by that body, his employment thereunder shall stand immediately determined, and his post under that body shall stand abolished, and he shall be entitled to receive from that body compensation—
 - (a) if he was employed immediately before the date of the constitution of the Development Authority, in a permanent capacity, equivalent to three month's salary;
 - (b) if he was employed immediately before the date of the constitution of the Development Authority in a temporary capacity, equivalent to one month's salary.

Explanation—In this sub-section, the expression "salary" includes Dearness Allowance, Special Pay or any other, like periodical allowance or pay.

- (10) Notwithstanding anything contained in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 or in any other law for the time being in force, the transfer of services of any officer or the employee to the Development Authority under sub-section (3) or sub-section (5) shall not entitle him to any compensation under that Act or such other law, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.
- (11) Notwithstanding anything contained in sub-sections (3) and (5) no appointment made or promotion, increment in salary, pension, allowance or any other benefit granted to any pension after the commencement of this Act and before the date of constitution of the Development Authority which in the opinion of the Development Authority would not ordinarily have been made or granted or would not ordinarily have been admissible under the terms and conditions of service in force prior to the commencement of this Act shall have effect or be payable or claimable from the Development Authority or from any Provident, Pension or other fund or from any authority administering the fund unless the State Government has, by general or special order, confirmed the appointment, promotion or increment or has directed the continued grant of the pension, allowance or other benefit, as the case may be.
- (12) For the persons who immediately before the date of constitution of the Development Authority were trustees of any pension, provident, gratuity or other like fund constituted for the officers and other employees referred to in sub-section (3) or sub-section (5), other than trustees nominated by or under any law, there shall be substituted as trustees such persons as the State Government may by general or special order specify.

(13) For the purposes of clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (6) all the functions of a Nagar Mahapalika under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and all the functions of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, other than those related to any continuing Avas Parishad schemes shall be deemed to be functions assigned to the Development Authority by this Act.

quine and 847/76

(ii) after sub-section (13) the following sub-section shall be inserted Ordinance, and be deemed always to have been inserted, namely:—

Repeal and sav-

"(14) Notwithstanding anything contained in section 365 of the aken under Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, all acquisition under this of land and interest in land for an improvement scheme the functions in respect of which are to be deemed as functions assigned to the Development Authority under sub-section (13), shall be completed at least up to the stage of making awards on or before December 31, 1977."

K. K. SUNDARAM,

Secretary to the Government of India.

REASONS FOR THE ENACTMENT

The Governor of Uttar Pradesh promulgated on June 12, 1973, the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Ordinance, 1973, which reproduced the provision of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Bill, 1973, as passed by the U. P. Legislative Council. The reasons for this enactment are given below:

- 2. In the developing areas of the State of Uttar Pradesh the problems of town planning and urban development need to be tackled resolutely. The existing local bodies and other authorities in spite of their best efforts have not been able to cope with these problems to the desired extent. In order to bring about improvement in this situation, the State Government considered it advisable that in such developing areas, Development Authorities patterned on the Delhi Development Authority be established. As the State Government was of the view that the urban development and planning work in the State had already been delayed it was felt necessary to provide for early establishment of such Authorities.
- 3. The present measure seeks to replace the aforesaid Ordinance by a President Act.
- 4. The Committee constituted under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973 (Act 33 of 1973), has been consulted before the enactment of this measure as a President's Act.

A. N. KIDWAI,

Secretary to the Government of India, Ministry of Works and Housing.

श्राका से,

कैलाश नाथ गोयल, सचित्र।